घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 308- गुरूवार 10- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला....सात रेलवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी,बढ़ेगी कनेक्टिविटी

नई दिल्ली,09 सितम्बर 2026। केंद्र सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण पर लगातार जोर दे रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि बुधवार को बैठक में रेलवे आधुनिकीकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। ये परियोजनाएं पिछले 12 वर्षों से चल रहे रेलवे के व्यापक बदलाव और आधुनिकीकरण के काम का हिस्सा हैं।

सात हाई-डेंसिटी कॉरिडोर पर क्या होगा काम

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के पूर्ण ओवरहाल और आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत सात हाई-डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर को फोर-ट्रैक और क्वाड्रुपल करने की योजना है। इन कॉरिडोर पर ट्रैक क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में इन मार्गों पर बढ़ने वाले यातायात का दबाव संभाला जा सके।

किन रेलवे रूटों पर होगा काम? मंजूर की गई परियोजनाओं में खड़गपुर-झारसुगुड़ा के बीच चौथी लाइन और कटनी-पेंड्रा रोड सेक्शन में चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड सेक्शन में तीसरी लाइन बनाई जाएगी। सरकार के मुताबिक, अतिरिक्त रेल लाइन बनने से इन मार्गों की क्षमता बढ़ेगी। इससे ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होने के साथ परिचालन दक्षता और सेवा की विश्वसनीयता में सुधार होगा। मल्टी-ट्रैकिंग से रेलवे परिचालन को सुचारु बनाने और भीड़भाड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।

3-मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी

कैबिनेट समिति ने बुधवार को रेलवे मंत्रालय की तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,783 करोड़ रुपये है। इनके पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे के नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।

पांच राज्यों के 14 जिलों को मिलेगा फायदा?

ये तीनों परियोजनाएं पश्चिम बंगाल,झारखंड,ओडिशा,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों से होकर गुजरेंगी। परियोजनाओं के जरिए भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सरकार के अनुसार,इससे लगभग 4,790 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन गांवों में करीब 56 लाख लोगों की आबादी है।

पीएम गति शक्ति के तहत कैसे आगे बढ़ेगा काम?

सरकार ने बताया कि इन परियोजनाओं की योजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है। इसका फोकस मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को बेहतर बनाने पर है। इसके लिए एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श को आधार बनाया गया है। इससे लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही के लिए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और उसके दोनों डायगोनल पर बढ़ेगी क्षमता

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के हाई-डेंसिटी कॉरिडोर को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली-मुंबई,मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली मार्ग मिलकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली-चेन्नई और मुंबई-कोलकाता इसके दो डायगोनल हैं। इसके अलावा दिल्ली-गुवाहाटी कॉरिडोर भी इस योजना में शामिल है। इस तरह कुल सात हाई-डेंसिटी कॉरिडोर को क्वाड्रुपल यानी चार-लेन किया जा रहा है। वैष्णव के मुताबिक,इन सभी परियोजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। फिलहाल करीब 4,000 किलोमीटर के हिस्से के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। रेलवे ट्रैक की संख्या बढ़ने से मौजूदा नेटवर्क पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। खासतौर पर हाई डेंसिटी रूट पर अतिरिक्त लाइन उपलब्ध होने से यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों के संचालन को भी बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकेगा। इससे औद्योगिक क्षेत्रों तक माल पहुंचाने और विभिन्न राज्यों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलने की संभावना है।

देश की पहली बुलेट ट्रेन का उद्घाटन 2027 में होगा : वैष्णव

सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का उद्घाटन 2027 में होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रूप से निर्मित बुलेट ट्रेन का मई-जून 2027 में ट्रैक पर परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है और परीक्षण के बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा।कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन का उद्घाटन 2027 में तय है। पहले सूरत से बिलिमोरा के करीब 50 किलोमीटर के खंड को शुरू करने की योजना थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सूरत से वापी तक करीब 100 किलोमीटर के पहले खंड को 2027 में खोलने की योजना है। इस खंड का निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित की जा रही बुलेट ट्रेन के एक कोच का निर्माण पिछले सप्ताह पूरा हो गया है। इसके बाद उस पर दबाव और जलवायु संबंधी परीक्षण किए जाएंगे तथा आंतरिक साज-सज्जा सहित अन्य काम पूरे किए जाएंगे। ट्रेन के परीक्षण के लिए अगले वर्ष मई-जून तक इसे ट्रैक पर लाने की योजना है। परीक्षण पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इतिहास उल्लेखनीय है कि वैष्णव ने एक दिन पहले वडोदरा में भी कहा था कि देश की स्वदेशी बुलेट ट्रेन मई-जून 2027 में परीक्षण के लिए ट्रैक पर आ जाएगी और परीक्षण के बाद दो से चार महीने में इसका उद्घाटन किया जा सकता है। उन्होंने बताया था कि ट्रेन के पहले बॉडी फ्रेम का निर्माण पूरा हो चुका है और उसे परीक्षण के लिए भेजा गया है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। इस परियोजना पर काम गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्रशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में चल रहा है।

जोधपुर में शुरू हुआ भारत-जापान की वायु सेनाओं का संयुक्त अभ्यास 'वीर गार्जियन'

22 सितंबर तक चलेगा,अभ्यास में जापान के एफ-2 लड़ाकू विमान भी शामिल समयऔर कैलेंडर

जोधपुर,09 सितम्बर 2026। भारतीय वायु सेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास 'वीर गार्जियन' बुधवार से जोधपुर में शुरू हो गया। यह अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। दोनों देशों के बीच होने वाले इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान भारत और जापान की वायु सेनाएं साथ मिलकर अलग-अलग हवाई अभियानों और ऑपरेशनल गतिविधियों में हिस्सा लेंगी। 'वीर गार्जियन 2026' में शामिल होने के लिए जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स की टुकड़ी पहले ही जोधपुर पहुंच चुकी थी। जापानी दल के पहुंचने के साथ ही अभ्यास की तैयारियों को आगे बढ़ाया गया। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के दो सी-2 परिवहन विमान जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर उतरे। इन विमानों के जरिए जापानी दल अभ्यास में अपनी भागीदारी के लिए जोधपुर पहुंचा है। इस बार के अभ्यास में जापान के एफ-2 लड़ाकू विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। जापानी एफ-2 विमानों की भागीदारी इस संयुक्त अभ्यास को खास बनाती है। जोधपुर में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ जापानी विमान भी हवाई अभियानों का अभ्यास करेंगे। दोनों देशों के वायु योद्धाओं को एक साथ काम करने और अलग-

अलग ऑपरेशनल परिस्थितियों में तालमेल बनाने का मौका मिलेगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 'वीर गार्जियन 2026' का एक उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं अलग-अलग अभियानों में साथ काम करेंगी। इससे इंटरऑपरेबिलिटी यानी दोनों सेनाओं की एक-दूसरे के साथ मिलकर प्रभावी तरीके से काम करने की क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही युद्धक क्षमताओं और आपसी समझ को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। भारत और जापान के बीच आयोजित किया जा रहा यह 'वीर गार्जियन' अभ्यास का दूसरा संस्करण है। यह भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच 'वीर गार्जियन' अभ्यास दोनों देशों के बढ़ते रक्षा और रणनीतिक सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के अनुसार, यह अभ्यास परिचालन तालमेल बढ़ाने, कौशल को और निखारने तथा दोनों देशों के बीच आपसी समझ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारतीय वायु सेना का 14 से ड्रोनथॉन-2026

वायुसेना ड्रोनथॉन-2026 का आयोजन भी कर रही है, जिसका उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानवरहित हवाई प्रणालियों (यूएएस) और मानवरहित हवाई प्रणालियों की प्रतिकार (सीयूएएस) में अपनी क्षमताओं और प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। यह आयोजन 14 से 16 सितंबर तक जैसलमेर के पोकरण रेंज में आयोजित किया जाएगा। इसमें स्थिर प्रदर्शन और लाइव प्रदर्शन शामिल होंगे। इससे समकालीन समाधानों की पहचान करने और उनकी युद्ध प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में निगरानी और टोही, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, समूह प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक युद्धकला शामिल हैं।

अरब डॉलर के साथ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने

नई दिल्ली,09 सितम्बर 2026। फोर्ब्स की 1 सितंबर 2026 के आंकड़ों पर आधारित दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एक बार फिर एलन मस्क अमीरों की सूची में नंबर वन पर ह। मस्क की नेटवर्थ बढ़कर 892 अरब डॉलर पहुंच गई है। अगस्त में उनकी संपत्ति में करीब 202 अरब डॉलर का जबरदस्त इजाफा हुआ। इस लिस्ट में टेक्नोलॉजी सेक्टर के दिग्गजों का दबदबा कायम है। गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज दूसरे, अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस तीसरे और सर्गेई ब्रिन चौथे स्थान पर हैं। वहीं टॉप 10 में इस बार स्टीव बाल्मर और अमानसियो ओर्टेगा ने अपनी जगह बनाई है। एलन मस्क 892 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। अगस्त का महीना उनके लिए बेहद शानदार रहा। इस दौरान SpaceX के शेयरों में 33 प्रतिशत और Tesla के शेयरों में 18 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। शेयरों में आई इस तेजी का सीधा असर मस्क की नेटवर्थ पर पड़ा और अगस्त में उनकी संपत्ति करीब 202 अरब डॉलर बढ़ गई।

कई कोशिशों के बाद भी टस से मस नहीं हुई खड़े हनुमान

जेसीबी और हाइड्रोलिक मशीन भी फेल,अब IIT इंदौर करेगी वैज्ञानिक जांच

उज्जैन,09 सितम्बर 2026। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। कंठाल चौराहे से छत्री चौक तक सड़क को करीब 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। इसी दायरे में सती गेट स्थित खड़े हनुमान मंदिर आ रहा था। नगर निगम ने 4-5 सितंबर को मंदिर का ढांचा तोड़ दिया, लेकिन प्रतिमा को हटाने की कोशिश सफल नहीं हुई।

चार बार कोशिश, 8 फीट की प्रतिमा नहीं हिली

प्रशासन ने जेसीबी,क्रेन और हाइड्रोलिक मशीन की मदद से करीब 8 फीट ऊंची प्रतिमा को हटाने की कोशिश की। चार दिनों में कई प्रयास किए गए,लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। भक्तों ने इसे भगवान का संकेत और चमत्कार बताया। उन्होंने प्रतिमा को नुकसान पहुंचने की आशंका जताते हुए विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग की।

अब आईआईटी इंदौर की टीम करेगी जांच

लगातार असफल प्रयासों के बाद प्रशासन ने आईआईटी इंदौर के विशेषज्ञों को बुलाया। टीम ने मंगलवार को करीब दो घंटे तक विशेष उपकरणों से जांच की। जमीन की स्कैनिंग कर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि प्रतिमा कितनी गहराई तक है और उसके नीचे या आसपास किस तरह की संरचना मौजूद है। रिपोर्ट आने के बाद ही प्रतिमा को हटाने का तरीका तय होगा।

1000 साल पुरानी होने का दावा : विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व विशेषज्ञ प्रो. डॉ. रमण सोलंकी के अनुसार प्रतिमा करीब 1000 साल पुरानी हो सकती है। यह मालवा क्षेत्र में मिलने वाले मजबूत बेसाल्ट पत्थर से बनी बताई जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक परमार वंश और राजा भोज के समय इस तरह के पत्थरों पर प्रतिमाएं बनाने की परंपरा थी। हालांकि प्रतिमा की सही उम्र की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

भक्तों के लिए 'डॉक्टर हनुमान': स्थानीय भक्त खड़े हनुमान को 'डॉक्टर हनुमान' और मंदिर को 'उज्जैन का एम्स' कहते हैं। मान्यता है कि यहां बीमार बच्चों और अन्य परेशानियों से जूझ रहे लोग मन्नत मांगते हैं। मंदिर के पुजारी महेश बैरागी के मुताबिक वर्षों से यहां बच्चों को झाड़नी दी जाती है और ताबीज बांधे जाते हैं। प्रतिमा नहीं हिलने के बाद भक्त बड़ी संख्या में पूजा-पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर ने पूरा वंदे मातरम गाया कांग्रेस ने आपत्ति जताई

कहा-सहयोगी दल पार्टी के साथ रहे,बीजेपी ने कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बताया

नई दिल्ली,09 सितम्बर 2026। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इस पर उमर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि गठबंधन के सहयोगियों पर शर्तें थोपने का अधिकार कांग्रेस का नहीं है। वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस को 'मुस्लिम लीग' की राजनीति करने वाली पार्टी बताया। विवाद सोमवार को जम्मू-कश्मीर के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राष्ट्रीय गीत का पूरा संस्करण गाए जाने के बाद शुरू हुआ। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कार्यक्रम का वीडियो शेयर करते नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपील की कि वह कांग्रेस के साथ खड़ी रहे और वंदे मातरम के 2 पैरा गाने के पक्ष में अपना रुख कायम रखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बशीर अहमद ने कहा कि गठबंधन सहयोगी होने के नाते कांग्रेस यह तय नहीं कर सकती कि वंदे मातरम गाना है या कितना गाना है। उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल को ट्वीट करने का अधिकार है,लेकिन वह अपना फैसला थोप नहीं सकते। यह लोगों की पसंद का मामला है और उनकी पार्टी किसी पर कुछ थोपने के खिलाफ है। वेणुगोपाल ने कहा कि वंदे मातरम के उसी संस्करण को गाया जाना चाहिए,जिसे उस समय अपनाया गया था। इस संस्करण को जानबूझकर इसलिए चुना गया था,ताकि गीत को सांप्रदायिक रंग देने से बचाया जा सके।

सत्य निकेतन हादसे के बाद नगर निगम दिल्ली का बड़ा एक्शन....

तोड़ी जाएंगी 27 जर्जर इमारतें,मालिकों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली,09 सितम्बर 2026। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक इमारत हादसे के बाद नगर निगम दिल्ली ने जर्जर और खतरनाक इमारतों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। हादसे के बाद किए गए सर्वे में 51 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है, जिन्हें असुरक्षित पाया गया है। इनमें से 27 इमारतों को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम दिल्ली की टीम वेस्ट जोन और शाहदरा साउथ जोन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगी। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले संबंधित इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा कुछ इमारतों को खाली कराकर सील भी किया गया है।

सत्य निकेतन हादसे के बाद हरकत में आया प्रशासन

सत्य निकेतन इलाके में जर्जर इमारत गिरने से कई लोगों की मौत के बाद दिल्ली प्रशासन ने पुराने और कमजोर भवनों की जांच तेज कर दी है। नगर निगम दिल्ली की टीम ने कई इलाकों में हॉस्टल,पीजी और व्यावसायिक इमारतों का सर्वे किया। सर्वे के दौरान भवन की मजबूती,निर्माण की स्थिति, फायर सेफ्टी व्यवस्था,इमारत की उम्र और स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण जैसे बिंदुओं की जांच की गई।

27 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, 7 को किया गया सील

नगर निगम दिल्ली अधिकारियों के मुताबिक सर्वे में मिली 51 जर्जर इमारतों में से 27 को तुरंत गिराने का फैसला लिया गया है। वहीं 7 इमारतों को खाली कराकर सील कर दिया गया है। कुल 35 भवन मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सत्य निकेतन इलाके में 'हॉस्टल डेज' के पास स्थित जर्जर इमारत को भी गिराने की तैयारी पूरी की जा रही है। इससे पहले इमारत से वॉटर प्लांट और कैंटीन जैसी संरचनाओं को हटाया गया,ताकि सुरक्षित तरीके से ध्वस्तीकरण किया जा सके।

कासगंज से लेबर कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार : दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, हादसे से पहले इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। जांच में पता चला है कि बारिश के कारण बेसमेंट में जमा कचरे को हटाने और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जगह बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ निर्माण कार्य किए जा रहे थे। पुलिस अब मरम्मत कार्य, निर्माण की गुणवत्ता और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। नगर निगम दिल्ली का कहना है कि दिल्ली में कमजोर और पुराने भवनों की पहचान कर उन पर कार्रवाई जारी रहेगी।

पीजी और हॉस्टल की सुरक्षा जांच में जुटी नगर निगम दिल्ली

नगर निगम दिल्ली के अधिकारियों ने बताया कि पीजी और हॉस्टल संचालकों की भी जांच की जा रही है। इसमें फायर एनओसी, बिल्डिंग का लाइसेंस,कमरों की संख्या,कन्वर्जन चार्ज और सुरक्षा मानकों की जांच शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले भवनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी,ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। सत्य निकेतन इमारत हादसे के मामले में पुलिस की कार्रवाई भी जारी है।

सुप्रीम कोर्ट : वैवाहिक दुष्कर्म पर अदालत सख्त,कहा- शादी के बाद पत्नी की सहमति का अधिकार खत्म नहीं होता है

नई दिल्ली,09 सितम्बर 2026। शादी के बाद पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं,इस बेहद अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट अब विस्तार से सुनवाई करेगा। अदालत ने साफ किया है कि शादी का मतलब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता खत्म होना नहीं है। हालांकि,मामला केवल सामाजिक सोच का नहीं,बल्कि आपराधिक कानून और संविधान की कसौटी का भी है। सुप्रीम कोर्ट पहले कर्नाटक हाईकोर्ट से जुड़े उस मामले की अपील सुनेगा,जिसमें पत्नी को कथित तौर पर यौन गुलाम की तरह रखने के आरोप में पति पर दुष्कर्म का मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं। पीठ ने कहा कि वह सबसे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ी अपील पर सुनवाई करेगी, जिसमें पत्नी के साथ कथित यौन हिंसा के मामले में पति के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह पत्नी की ओर से पेश हुईं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में पत्नी को लगभग यौन गुलाम की तरह रखे जाने की स्थिति को देखते हुए मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। उनका तर्क है कि मौजूदा कानून की व्याख्या के जरिए भी ऐसे मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है,यानी वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद को तुरंत खत्म करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में दो बड़े सवाल हैं। पहला,क्या मौजूदा वैवाहिक दुष्कर्म अपवाद की सीमित व्याख्या करके कुछ मामलों में पति के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा चलाया जा सकता है।

संपादकीय

घोषणाओं से आगे बढ़े छत्तीसगढ़ अब फैसलों को चाहिए जमीन

500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन,33 जिलों में उद्यमिता केंद्र और नई निर्यात नीति–साय सरकार ने विकास की दिशा तो तय की, अब परिणाम दिखाने की बारी है किसी सरकार की दिशा उसके भाषणों से नहीं,उसके फैसलों से दिखाई देती है। और फैसलों की असली कीमत तब सामने आती है,जब उनका असर फाइलों से निकलकर खेत,कारखाने, बाजार और युवा की जिंदगी तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को इसी नजरिए से देखने की जरूरत है। सरकार ने युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं एनआईपीयूएन मिशन' को मंजूरी दी है,जिसके लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र,100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाने हैं। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवा को देखने के नजरिए में बदलाव का संकेत है। अब तक रोजगार की चर्चा का केंद्र सरकारी नौकरी रहा है। स्टार्टअप मिशन की सोच इससे आगे जाती है–युवा नौकरी मांगने वाला ही नहीं,नौकरी देने वाला भी बने। लेकिन यही वह जगह है जहां सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। स्टार्टअप सेंटर बना देना आसान है, स्टार्टअप खड़ा करना मुश्किल। लैब खोल देना आसान है,उसमें पैदा हुए विचार को बाजार तक पहुंचाना कठिन। युवाओं को प्रशिक्षण देना आसान है,उन्हें प्रशिक्षण के बाद टिकाऊ रोजगार या व्यवसाय दिलाना कठिन। इसलिए 500 करोड़ रुपये का असली मूल्य इस बात से तय होगा कि इससे कितने सफल उद्यम खड़े हुए,कितने युवाओं को रोजगार मिला और कितने युवा अपने जिले में रहकर अपना कारोबार शुरू कर सके।

छत्तीसगढ़ की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। रायपुर,दुर्ग या भिलाई में स्टार्टअप संस्कृति विकसित करना एक बात है,लेकिन सरगुजा,बस्तर,बलरामपुर,जशपुर,कोरिया या सुकमा के युवाओं तक उद्यमिता का यह अवसर पहुंचाना दूसरी बात। अगर 33 जिलों में केंद्र बनते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां कुछ शहरों तक सिमट जाती हैं, तो मिशन अपनी मूल भावना से दूर चला जाएगा।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य राज्य को प्रमुख निर्यात केंद्र बनाना,लॉजिस्टिक्स और निर्यात इकोसिस्टम मजबूत करना तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्यवर्धित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की योजना भी है।

यह फैसला छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखता है...

यह प्रदेश वर्षों से खनिज संपदा के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अब समय केवल धरती से संसाधन निकालने का नहीं,उन संसाधनों से मूल्य पैदा करने का है। धान से तैयार उत्पाद,वन उपज,हस्तशिल्प,खाद्य प्रसंस्करण,औद्योगिक उत्पाद और स्थानीय कारीगरों की कला–इन सबको वैश्विक बाजार मिल सकता है।

जरूरत केवल नीति की नहीं,बाजार तक पहुंच की है...

एक आदिवासी महिला द्वारा तैयार किया गया वन उत्पाद यदि गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है, तो वह सिर्फ एक उत्पाद का निर्यात नहीं होगा;वह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इसी क्रम में नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 10 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने का फैसला भी महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित संस्थान में आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। आज उद्योग को डिग्री से ज्यादा दक्षता चाहिए। मशीनें बदल रही हैं, तकनीक बदल रही है,रोजगार के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे समय में कौशल विकास को केवल प्रमाणपत्र बांटने की प्रक्रिया बना देना युवाओं के साथ अन्याय होगा।

कौशल वही सफल है,जो रोजगार से जुड़े

इसलिए एनएसटीआई से निकलने वाले युवा कितने प्रशिक्षित हुए, यह आंकड़ा पर्याप्त नहीं होगा। असली आंकड़ा यह होना चाहिए कि उनमें से कितनों को रोजगार मिला, कितनों ने अपना व्यवसाय शुरू किया और कितनों की आय में वास्तविक वृद्धि हुई। कैबिनेट ने शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं के कर्मचारियों को अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय भी लिया है। इससे पात्र कर्मचारियों को सात वर्ष की अतिरिक्त गुंजाइश मिलेगी। यह फैसला उन लोगों के लिए अवसर का विस्तार है, जो वर्षों से सेवा करते हुए भी बेहतर पद की प्रतिस्पर्धा से उम्र की सीमा के कारण बाहर हो जाते थे।

दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय भी न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में है।इन फैसलों को अलग-अलग देखने के बजाय एक साथ देखा जाए तो सरकार का संदेश साफ दिखाई देता है...युवा,कौशल, रोजगार,उद्यमिता,निर्यात और संस्थागत ढांचे को विकास के अगले चरण का आधार बनाना। लेकिन किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषणा और उपलब्धि के बीच पैदा होने वाली दूरी होती है। कागज पर 33 उद्यमिता केंद्र बहुत अच्छे लगते हैं। 100 टेक्नोलॉजी लैब प्रभावशाली लगती हैं। 500 करोड़ रुपये बड़ी राशि है। निर्यात नीति का लक्ष्य भी महत्वाकांक्षी है लेकिन जनता को अंततः यह नहीं देखना कि कितनी घोषणाएं हुईं। जनता यह देखेगी कि उसके बेटे को नौकरी मिली या नहीं,उसकी बेटी ने अपना कारोबार शुरू किया या नहीं, किसान की उपज को नया बाजार मिला या नहीं,स्थानीय उद्योग को विदेश से ऑर्डर मिला या नहीं। यही वजह है कि इन योजनाओं के साथ जवाबदेही का ढांचा भी उतना ही जरूरी है।सरकार को हर वर्ष सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि स्टार्टअप मिशन पर कितना खर्च हुआ,कितने स्टार्टअप शुरू हुए,कितने बंद हुए, कितने रोजगार बने और कितने उद्यम बाजार में टिके। निर्यात नीति के तहत प्रदेश के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई,कितने नए निर्यातक जुड़े और किन जिलों के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे–इनका भी हिसाब जनता के सामने आना चाहिए।

क्योंकि लोकतंत्र में बजट सरकार का होता है, लेकिन उसकी सफलता जनता की होती है...

साय सरकार के सामने अब एक बड़ा अवसर है। छत्तीसगढ़ को यदि केवल खनिज और धान की पहचान से आगे ले जाना है, तो स्थानीय प्रतिभा, स्थानीय उत्पाद और स्थानीय उद्यम को वैश्विक बाजार से जोड़ना होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी है–नीति में निरंतरता, क्रियान्वयन में पारदर्शिता और परिणामों में जवाबदेही। कैबिनेट ने दिशा की घोषणा कर दी है। अब प्रदेश यह देखना चाहेगा कि यह दिशा कितनी दूर तक जाती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ को अब केवल ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अच्छी योजनाएं बनाए। उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए जो अच्छी योजनाओं को अच्छे परिणामों में बदल सके। यही आज की कैबिनेट के फैसलों की असली कसौटी है। और आने वाले पांच साल इस बात का जवाब देंगे कि 500 करोड़ की यह पहल केवल बजट की एक बड़ी संख्या थी या छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बदलने वाली वास्तविक शुरुआत।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा,जिंदादिली से जीने की सीखें कला

डॉ.प्रितम भि.गेड़ाम
नई दिल्ली

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

जीवन के मोल का अंदाजा केवल एक बात से लगा लीजिए कि,एक मृत शरीर है,दुनिया की सारी दौलत खर्च करके, अत्याधुनिक अस्पताल,सरकारें,धार्मिक कर्मकांड सब मिलकर कोशिश कर लें, पूरे ब्रम्हांड की ताकत लगाकर भी मृत शरीर में एक सेकंड के लिए भी जान नहीं ला सकते। मतलब जीवन अनमोल है, उसे खत्म करने का अधिकार हमें स्वयं भी नहीं,क्योंकि यह जीवन अन्य की देन हैं। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जागरूकता हेतु दुनियाभर में मनाया जाता है,इसका उद्देश्य लोगों में आत्महत्या जैसे बुरे विचारों को दूर करके एक सुखद सकारात्मक सोच जैसा वातावरण बनाने पर जोर देना हैं। इसकी थीम आत्महत्या के बारे में सोच बदलना और बातचीत शुरू करें यह है, वर्ष 2024 से 2026 तक यही थीम रखी गयी हैं।

आज के आधुनिक युग में आत्महत्याओं में बेहद बढ़ोतरी हमें संकेत दे रही है कि,हम अनुचित वातावरण में जी रहे है,आत्महत्या के कारण जैसे-मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं,मानसिक खेलों का शिकार होना,अकेलापन और कमजोर होते सामाजिक संबंध, असफलता,पढ़ाई और करियर का दबाव, आर्थिक असुरक्षितता,धोखाधड़ी, डर, रिश्तों का टूटना,सामाजिक तुलना और डिजिटल दबाव,हिंसा,दुर्व्यवहार और भेदभाव,नशीले पदार्थों का सेवन या बुरी लत,झूठे दिखावे की आदत, शरीर या मन में लंबे समय तक दर्द और बीमारी। ऐसे अनेक कारणों से आत्महत्या में लगातार वृद्धि हुयी है,इसमें जल्द सुधार की आवश्यकता हैं। जब आत्महत्या होती है, तब केवल एक जान ही नहीं जाती, बल्कि उस परिवार,रिश्तेदार,कार्यस्थल, समाज और उससे संबंधित संपूर्ण समुदाय में हमेशा के लिए एक स्थान रिक्त होता है,सामाजिक,भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव पड़ता हैं। आत्महत्याओं को रोकने के लिए आपसी रिश्तों में सहानुभूति के साथ बातचीत को बढ़ावा देना बहुत जरुरी हैं। गलतफहमी को दूर करना,समस्या साझा करना,खुलेपन से अपनी बात रखना,सहानुभूति और सहयोग का माहौल बनाना, यह बातें बेहद आवश्यक हैं। सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने भी समाज में सकारात्मक माहौल बनाये रखने में अमूल्य भूमिका निभानी चाहिए।

जिस देश या समाज में ज्यादा समस्याएं, परेशानियां होती है, वहां के वातावरण में रहनेवाले लोग ज्यादा आत्महत्याएं और अपराध करते है, क्योंकि जीने के लिए अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानसिक स्वास्थ्य एटलस 2024 रिपोर्ट अनुसार, साल 2021 में 7,27,000 मौतें आत्महत्या के कारण हुईं। युवाओं में मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या ही हैं। वैश्विक स्तर के तुलना में भारत में आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। महाराष्ट्र में किसान वर्ग की आत्महत्या सबसे ज्यादा चिंता का विषय हैं। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों अनुसार, राज्य में साल 2023 में कुल 6,669 किसान और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की,जबकि पूरे भारत में 10786 किसानों ने आत्महत्या की थी। बहुत बार हमें पता होता है कि, कोई चीज हमारे लिए नुकसानदायक है,फिर भी हम नहीं सुधरते। अनेक बार छोटी-छोटी बिना काम की बातों को अधिक तूल दिया जाता है,जिसका सीधा बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता हैं। आजकल खुद को दुःख देने के लिए हम खुद ही ज्यादा जिम्मेदार है,जल्द गुस्सा आना, मनमाफिक काम न होने पर आपा खो देना,दूसरो को दोष देना या द्वेष करना, दूसरों पर अंधा भरोसा,भावनाओं में बह जाना,स्वार्थ,लालच,झूठा दिखावा करना और विपरीत स्थिति में भी दिखावा बनाये रखना,समाधान की कमी,लगातार जिंदगी की प्रतियोगिता में भागते रहना,बुरी संगत, दूसरों की खुशी में दुखी और दूसरों के गम में खुश होना,ईर्ष्या,लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं लगाना, आश्रित होना, मानसिक खेलों का शिकार होना,मेहनत से दूर भागना और शॉर्टकट अपनाना जैसी अनेक बातें मनुष्य के खुद की उपज है, चाहे तो मनुष्य इन बातों पर नियंत्रण रखकर बेहतर स्वास्थ्यवर्धक समाधानी जीवन जी सकता हैं। हमारी गलतियों का नतीजा ही बहुत बार हमें आत्महत्या के विचारों तक लाता है,इसलिए काम या व्यवहार ही ऐसा करें,जो हमें परेशानी और गलतियों से बचायें।

दूसरों पर जल्द भरोसा न करें,अंधा भरोसा किसी पर भी न करें। समयानुसार अपने काम में परिवर्तनशीलता लाये, कौशलता सीखें। गहरे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने वालों से बचें। झूठे दिखावे से बचें,नशे से दूर रहें,बुरी संगत न करें। पछतावे में समय न गवाएं,अब क्या बेहतर हो सकता है,ये सोचें। कम ही सही लेकिन अच्छे लोगों के संपर्क में रहें,जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ दें। आधुनिकता और सोशल मीडिया की लत न लगायें। किसी भी निर्णय से पहले सोचें-समझें,परिणाम का अंदाज लगाए फिर क्रिया करें। उग्र गुस्सा,भावनाओं या जोश में अनुचित निर्णय लेने से बचें। आधुनिक जीवनशैली मानव जीवन के लिए अभिशाप साबित हो रही है,इसका अनुसरण ना करें। समाधानी बनें, मेहनत पर भरोसा करें,अपनी इच्छाएं दूसरों पर न थोपें,रोजाना खुद के लिए समय निकालें, हेअल्थी हॉबी को प्राथमिकता दें।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की तंदरुस्ती के लिए रोजाना व्यायाम करें। प्रकृति,पर्यावरण,पशु-पक्षी की रक्षा और परोपकार की भावना जगायें,असहायों की मदद करें। जिंदगी जिंदादिली से जीना है काटना नहीं हैं। अपनों के प्यार, भावनाओं की कद्र करें और अपने अनमोल जीवन का मोल समझें। हमारी वजह से कभी किसी को तकलीफ न हों, ऐसे जीवन का निर्धार करें। अगर हम अनुचित काम नहीं कर रहे,तो लोग क्या कहेंगे इसका विचार न करें,कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता हैं। दूसरों की खुशी में खुश और दूसरों के गम में दर्द बांटना ही इंसानियत है,यही मानव का फर्ज हैं। ऐसी आदतों और वातावरण में जीनेवाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है,तकलीफों और मुश्किलों से भागता नहीं,डटकर मुकाबला करता हैं। हमेशा शांत,सजग,समाधानी और प्रसन्न रहता है और ऐसे ही हमें जीना हैं।

लुईब्रेल,अब्राहम लिंकन,फ्लोरेंस नाइटिंगेल,महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले,थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल,मैरी क्यूरी,डॉ. बी. आर.अंबेडकर,श्रीनिवास रामानुजन, चार्ली चैपलिन,नेल्सन मंडेला,मदर टेरेसा, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, दशरथ मांझी,बछेंद्री पाल,सिंधुताई सपकाल, अरुणिमा सिन्हा,मलाला यूसुफजई,निक वुजिचिक,तुलसी गौड़ा,सोनम वांगचुक, मैरी कॉम जैसे असंख्य लोग हुए और आज भी है,जो विपरीत परिस्थितियों पर मात कर संघर्षमय जीवन को एक मिसाल बनाकर दुनिया में पथ प्रदर्शक के रूप में रोशन हुए हैं।

तनाव के कारण हार्ट अटैक, पक्षाघात या अन्य गंभीर बीमारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है,किसी भी समस्या में तनाव न लें,यह तनाव व्यवस्थापन की कला हमने अपने देश के नेताओ से सीखना चाहिए। अति साधारण ग्रामीण व्यक्ति,साधारण,कद-काठी लग भग अनपढ़ गरीब मजदूर दशरत मांझी ने बिना किसी के सहारे 22 साल के अथक परिश्रम से अकेले पहाड़ काटकर लोगों की सुविधा के लिए रास्ता बनाया। इतनी मुसीबतों में उन्होंने इतिहास रचा,तो हम क्यों जल्दी जिंदगी से हार मान लेंगे। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक प्रयास जारी रखें,अपने कार्य में छोटीसी चींटी भी कभी हार नहीं मानती,फिर तो हम इंसान है,जीत जायेंगे हम भी अगर हमारा इरादा और हौसला बुलंद है तो। मुश्किलें,असफलता या दुःख आये या कभी भी बुरे ख्याल परेशान करे तो,एक बात ध्यान में रखना कि,दुनिया में हमसे भी ज्यादा बुरे परिस्थिति में लोग जी रहे है और समय परिवर्तनशील है वक्त बदलता जरूर है,हमारा भी वक्त बदलेगा।

सबसे रईस गधा नटवरलाल बाढ़ में बह गया...

आत्माराम यादव
नर्मदापुरम,मध्यप्रदेश

नगर सेठ के पास एक नटवरलाल नाम का झवरू जवान जोशीला गधा था,जिसकी गेंडें जैसी मोटी खाल थी। नटवरलाल देश-प्रदेश के मेलों के अलावा अन्य जगहों पर लगने वाले मेलों में आकर्षक का केन्द्र होता और लोगों का मनोरंजन कर रोज तीन चार सौ शो करके प्रसिद्धि के सातवे आसमान पर था,जिसकी चर्चा हर नगर,गॉव,कस्बे में हर घर के बच्चे एवं महिलाओं के बीच होती थी। सभी नटवरलाल के शो को देखने को बहुत ही उत्सुक व लालायित रहते थे जिससे नटवरलाल अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी-ध्यानी समझने की ऐंढ़ रखने लगा। इधर नगरसेठ अपने गधे नटवरलाल को गधा ही समझकर अपने मुनीम और रिंगमास्टर को अपनी फितरत अनुसार प्रदर्शन कराने की चाह रखते थे,पर जनता झूठ-बेईमानी और मक्कारी को पसंद नहीं करती थी,इसलिये ऐसे एक दो करबत किसी वस्तु को नटवरलाल की ऑख बॉधकर भीड़ में किसी को थमाने पर उस वस्तु की खोज में भेजते तो नटवरलाल झट सामान छिपाकर रखने वाले को पकड लेता था। नगरसेठ की नजर में यह गधा महामूर्ख था जो पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी प्रत्येक शो में जासूसी करके बड़े-बड़े जासूसों को नानी याद दिला देता था। गधा नटवरलाल नहीं जानता था कि वह खुद एक कुशल जासूस से कम नहीं,उसमें आदमी के सारे हुनूर थे पर था तो आखिर गधा ही न, यही बात नगरसेठ को खलती थी,कि इंसानों में नटवरलाल गधे जैसे ही गुण क्यों होते है।

नगरसेठ नगर के ही नहीं एक बहुत बड़ी रियासत के रईस थे और सरकार में उनका बड़ा रूतबा था। वे चाहते थे कि नटवरलाल गधे की बेशुमार बेहिसाब आमदनी को किसी को खबर न लगे और उनके मुनीम सिर्फ नटवरलाल की आमदनी का ही हिसाब रखे,उन्हें गधे की आमदनी से प्रेम था,पर उसकी खुराक अखरती थी। वे चाहते थे कि आमदनी आती रहे,पर इस गधे को खिलाने का जिम्मा कोई ओर ले ले तो समझो हम तीरथ कर आये,मानेंगे। उन्हें ख्याल आया हमारे पूर्वज हवेलियों बनाते समय निर्माण में लगने वाली रेत-मिट्टी ढ़ोने का काम नटवरलाल के पूर्वक गधों से ही कराने के बाद गधों को खिलाना न पड़े वे उनसे मुफ्त में काम निकलवा कर उनके खाने के इंतजाम के लिये शहर में छुड़वा देते ताकि गधें नगरजनों की फेंकी जूठन से अपना पेट भर ले। मैं नर्मदापुरम निवासी हूॅ,इसलिये इस परम्परा को यहॉ देखता हूॅ जिसमें गधे सुबह से शाम तक नर्मदा की रेत ढोकर बेहिचक आलीशान निर्माणों में योगदान दे रहे है और गधों की देखभाल करने वाले कर्मचारी उन्हें शहरवालों के भरोसे छोड उनकापेट भरते ही काम पर लगाये रखते है। नगरसेठ या उनके पूर्वजों ने कभी भी गधों के रहने के लिए गधाशाला नहीं बनवायी है। हॉ यह अलग बात है कि उनके पूर्वजों का यह कारोबार गधों की कतार न लगाकर डम्फरों की कतार लगवा दी है,लेकिन मेलों में सुप्रसिद्ध हीरों का खिताफ उनके गधे नटवरलाल को मिला हुआ है और उसकी कमाई ऐसे ही हाथ से जाने देना नहीं चाहते है,इसलिये नटवरलाल उन्हें जान से प्यारा है, पर उसके लिये कोई भी जान लगाने को तेयार नहीं है। जानवरों के लिए सरकारी योजनाओं,बनती गोशालाओं और उनके बजट के ऑकड़ों ने नगरसेठ का दिमाग चकरघिन्नी कर दिया,बस वे उधेड़वन में थे कि कैसे भी सरकारी योजनाओं को नटवरलाल से जोडें और नटवरलाल को ज्यादा प्रशिक्षित कर विदेशों की करेंसी भी जोड़ी जाये।

फिर क्या था। नगरसेठ अपने गधे नटवरलाल को निरा अपढ़,अप्रशिक्षित,अस्वस्थ्य,निवास से वंचित बतलाकर खुद सरकार के बतौर प्रतिनिधि मंत्रीमण्डल की बैठक में शामिल हो प्रदेश के सभी गधों की चिंता में दुबले हुये लम्बा-चौड़ा भाषण झाडते हुये गधों के दर्द को बखान कर प्रदेश में गधों के अस्तित्व का खतरे का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया कि सभी को लगा कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो हमारा प्रदेश गधाविहीन हो जायेगा। तत्काल सरकार ने गधा पालन शिक्षण एवं संरक्षण आयोग गठित कर करोडों रूपये के बजट के साथ गधा पालन शिक्षण एवं संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नगरसेठ के चहेते भड़ामसिंह को अध्यक्ष बनवाकर सबसे पहले अपने चहेते कमाऊ नटवरलाल गधे की फाईल प्रस्तुत कर नटवरलाल के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं आवास के लिये करोड़ों रूपये स्वीकृत कराकर पहली जंग जीत ली।
नटवरलाल गधे की स्वीकृत फाइल का ठेका नगर सेठ के नौकर छदामी लाल के नाम से उनके भतीजे ने प्राप्त किया। काम शुरू हुआ,शहर के सारे डिग्रीधारी व्याख्याताओं को बुलाया गया,सभी ने नटवरलाल की योग्यता एवं विद्या के आगे नतमस्तक हो उसे गधों का गुरू बताया। कुछेक ने कहा कि यह इतना ज्ञानी है कि इसके पास ज्ञान का अपार भंडार है जो पोथियों में लिखे तो पोथियों के पहाड़ लग जाये किन्तु इसका ज्ञान फिर भी कमतर नहीं होगा,तुरंत भतीजे ने नगर सेठ का काम बतलाया तो वे ही व्याख्याता गण अपनी ही बात को सिरे से खारिज कर खाने की टेबल पर मिठाइयों में हाथ सने चाटते हुए कहने लगे कि यह नटवरलाल तो अज्ञानी गधा है इसे शिक्षित करने में सालों लगेंगे और लाखों का खर्च आयेगा।

समय की लीला न्यारी है अचानक अलग-अलग विषय के विशेषज्ञ व्याख्यातों ने खाने की टेबिल पर क्या बात की,यह नटवरलाल की समझ नहीं आयी, परन्तु व्याख्याताओं ने नटवरलाल को जासूसी पदवी से नीचे पटकर निरा अपढ़,अशिक्षित,गॅवार गधा होने का प्रमाण-पत्र दे वापिस चले गए। अब नटवरलाल के आवास के लिये शहर के कालोनाईजरों को बुलाया गया जिन्होंने नटवरलाल के बैठकरूम,खड़ेरूम,चाराग्रहण कक्ष,शौचादि कक्ष की आधुनिक डिजाईनें तैयार की, इसमें उन्होंने आवास का एरिया का नक्शा पास कर सभी अत्याधुनिक गधा निवास का प्रस्ताव रखा,भतीजे ने खारिज कर शहर के बाहर सरकारी जमीन पर अपने कब्जे वाले झाड के नीचे ही नटवरलाल को सुरक्षित होना बताया और कालोनाईजरों को कहा कि देखों ये सब कागजों पर होना है,हमारा नटवरलाल पेड के चक्कर लगाने का आदी है,उसे वही रहने दिया जाये,परन्तु दुनिया को दिखाने के लिये नटवरलाल गधे को पढ़ाने के लिये सालों व्याखाताओं को लगाये रख उन्हें वेतन दिया जाता रहा। सुबह-शाम माईक से गधे की पढ़ाई से पहले शंख,घडियाल,ढोल,तासे,नगाडे करताल,मृदंग आदि मधुर ध्वनि में बजाये गये लोग सुनते और प्रसन्न होते, पर उनकी रिकार्डिंग रोज सुनने के बाद रिकार्डिंग करने वाले अपने भुगतान को चक्कर लगाते,जिन्हें आता जाता देख लोगों को विश्वास होता कि हॉ नटवरलाल अब योग्यता की सारी सीढ़िया पार कर हमारे शहर का नाम गौरवान्वित करेगा।

एक दिन अचानक गधा पालन शिक्षण एवं संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भडामसिंह जी अपनी सरकारी लाल बत्ती गाडी में अधिकारियों की फौज लिये नटवरलाल गधे की पढ़ाई एवं आवास की प्रगति देखने आ धमके। पूरी मीड़िया आ टपकी और इन्टरव्यू लेने लगे। धडामसिंह ने नटवरलाल गधे के आवास पर आम लोगों को आने जाने पर प्रतिबन्ध लगवा दिया था किन्तु मीडिया ने देखने को कहा,तब वे बोले मैं इतना गया गुजरा हूॅ जो ईमानदार कालोनाईजरों-इंजीनियरों की ईमानदारी पर शक करू,जब उन्होंने कहा कार्य प्रगति पर है,तो समझो प्रगति पर है,हॉ मैं इसके उदघाटन के अवसर पर आप सभी को नटवरलाल गधा आवास जरूर घुमाऊंगा। नगरसेठ के भतीजे की खातिरदारी की सभी पत्रकारों ने तारीख की,फिर धडामसिंह जी कब चूकने वाले थे,वे बोले अब तक पता चल गया न। प्रदेश का सबसे अनूठा गधा नटवरलाल पैलस का निर्माण हमारे यहॉ हुआ,गधें ने खूब पढ़ाई की,उसकी देखरेख में कोई कमी नहीं थी। सरकारी योजना का यह अनूठी प्रयोग हमारों नगर में हुआ जहॉ नगरसेठ के भतीजे ने योजना पर काम करते हुये महिने लगाये,करोड़ों खर्च हुये, मॅहगाई बढ़ने का कहकर योजना में ओर राशि बढोत्री की गयी।

पूरा शहर इसके उदघाटन की प्रतीक्षा में था,सोशल मीडिया पर कालोनाईजरों की बनाई डिजाईन को लाखों लाईक्स कमेन्टस मिल चुके थे। वह दिन भी आया जब उसका उदघाटन तय हुआ, ठीक उसके एक सप्ताह पहले पता चला कि नदी के किनारे पर बना यह एतिहासिक गधा नटवरलाल हाउस बाढ़ के पानी में बह गया,नगरसेठ के भतीजे ने कॉगजों पर बनाकर पहले ही करोड़ों रूपये अंटी कर लिये थे,अब बाढ़ में हुये नुकसान का सर्वे हुआ,हर्जा खर्चा मिला,वह तो नगरसेठ थे जिन्होंने कागजों पर बना नटवरलाल गधा हाउस कागजों पर बनाकर बाढ़ में बहा दिया और अपने कमाऊ जासूस गधा नटवरलाल को अपने पास छिपाकर रखा वहीं शासन से उसके बह जाने की रपट लगवाकर हर्जा-खर्चा भी वसूल लिया। सबको मुठी में रखने वाले हमारे चतुर चालाक नगरसेठ कभी दमडी का भी नुकसान नही उठाते,इसलिये गधे नटवरलाल की कमाई खाते हुये उसे मरा बताया,गधा नटवरलाल नहीं जानता कि वह जिंदा है या मरा,उसके आवास पर किस गधे ने अपनी रोटिया सेकी,पर वह जैसा भी है,है तो गधा, आखिरकार सबका चहेता जो है,इसलिये आज भी वह मेलों में जासूसी करके अपने मालिक का पेट पाल रहा है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न

दिल्ली में हादसों के शिकार पढ़ने वाले बच्चे ही क्यों?

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं यह उन लाखों सपनों की राजधानी भी है,जिन्हें लेकर देश के कोने-कोने से बच्चे,युवा और उनके परिवार यहाँ आते हैं। कोई आईएएस बनने का सपना लेकर आता है,कोई डॉक्टर,इंजीनियर या वैज्ञानिक बनने का। कोई छोटे से गाँव से चलकर दिल्ली की किसी कोचिंग की सीढ़ियाँ चढ़ता है और कोई अपने माता-पिता की वर्षों की बचत लेकर एक छोटे-से कमरे में अपना भविष्य खोजता है। लेकिन विडंबना देखिए,जिस दिल्ली में ये बच्चे भविष्य बनाने आते हैं, वही दिल्ली बार-बार उनके वर्तमान को छीन लेती है।सवाल अब केवल यह नहीं है कि दिल्ली में हादसे क्यों होते हैं। असली सवाल यह है कि बार-बार वही हादसे क्यों होते हैं और हर हादसे के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं जागती? कुव्यवस्था की भयावह तस्वीर हाल की सत्य निकेतन इमारत दुर्घटना ने फिर सामने रख दी। छात्र-आवास वाली बहुमंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की मृत्यु की रिपोर्ट सामने आई और अधिकांश पीड़ति विद्यार्थियों के होने से छात्र आवासों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठे। सबसे पीड़ादायक बात यह है कि विद्यार्थी दिल्ली में केवल पढ़ाई की फीस नहीं देते। वे कमरा किराये पर लेते हैं,भोजन के लिए भुगतान करते हैं, परिवहन का खर्च उठाते हैं और अपने परिवारों की आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक कीमत पर अपने सपनों को खरीदने की कोशिश करते हैं।

तो क्या उन्हें बदले में केवल असुरक्षित कमरे मिलेंगे?

क्या उनके लिए अग्नि सुरक्षा,संरचनात्मक सुरक्षा, आपातकालीन निकास और स्वच्छ जलनिकासी जैसी सुविधाएँ विलासिता हैं?

राजधानी में पढ़ने वाला विद्यार्थी नागरिक नहीं है क्या?

दिल्ली की प्रशासनिक समस्या का एक और गंभीर पहलू है जिम्मेदारी का बिखराव। नगर निगम, पुलिस, अग्निशमन विभाग,विकास प्राधिकरण,परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन कई संस्थाएँ अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं। लेकिन जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी अक्सर किसी एक छोटे कर्मचारी या किसी संचालक पर जाकर रुक जाती है। हाल की प्रशासनिक जाँचों के संबंध में रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि कई त्रासदियों में प्रणालीगत खामियाँ और प्रशासनिक लापरवाही चिन्हित हुई, जबकि कार्रवाई अक्सर निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रही।

यहीं लोकतंत्र की असली परीक्षा है।

यदि किसी इमारत को वर्षों तक नियमों के विरुद्ध चलने दिया गया, तो केवल चौकीदार या कनिष्ठ कर्मचारी दोषी कैसे हो सकता है?
27 जुलाई 2024 को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वे बच्चे किसी अपराध के लिए नहीं,पढ़ने के लिए दिल्ली आए थे। उनके हाथों में किताबें थीं,आँखों में सपने थे और परिवारों को उनसे उम्मीद थी। लेकिन एक बेसमेंट,बारिश और प्रशासनिक लापरवाही के त्रिकोण ने उन सपनों को हमेशा के लिए डुबो दिया।विडंबना यह है कि घटना के बाद अवैध बेसमेंट, संकरे रास्ते,अग्नि सुरक्षा और भवन नियमों की बातें सामने आईं। कार्रवाई भी हुई। बाद में दिल्ली में सैकड़ों कोचिंग सेंटरों और पुस्तकालयों पर कार्रवाई की गई; फरवरी 2026 तक 370 इकाइयों को सील किए जाने और 899 संस्थानों को कारण बताओ नोटिस दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई। लेकिन प्रश्न फिर वही है–यदि इतनी बड़ी संख्या में संस्थान नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तो हादसे से पहले प्रशासन कहाँ था? क्या किसी बच्चे की मृत्यु के बाद ही यह पता चलता है कि बेसमेंट में पुस्तकालय चल रहा था? क्या किसी इमारत के गिरने के बाद ही उसके कमजोर होने का प्रमाण मिलता है?क्या आग लगने के बाद ही अग्निशमन व्यवस्था की जाँच होती है? और क्या किसी बच्ची के साथ अपराध होने के बाद ही सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा याद आती है?

दो बार चोरी,सीसीटीवी में कैद आरोपी फिर भी पुलिस की पकड़ से बाहर

ग्राहक सेवा केंद्र से 4.41 लाख रुपए और किराना सामान पार,संचालक ने एसएसपी से लगाई गुहार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भंवरडांड़ में ग्राहक सेवा केंद्र में लगातार दो बार चोरी होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने का मामला सामने आया है। पीड़ित संचालक का दावा है कि दोनों वारदातों में बदमाश ग्राहक सेवा केंद्र का शटर तोड़कर करीब 4 लाख 41 हजार रुपए कैश और किराना सामान ले गए। दोनों घटनाओं की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज है। इसके बावजूद सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर आने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होने से संचालक ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। ग्राम भंवरडांड़ निवासी सत्यनारायण कुशवाहा पिता स्व. गणेश कुशवाहा गांव में ही स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करता है। उसने एसएसपी को दिए आवेदन में बताया कि पिछले दो माह के भीतर उसके केंद्र को दो बार निशाना बनाया गया। 11 जुलाई 2026 को शटर का ताला तोड़कर 4 लाख 32 हजार रुपए कैश चोरी किए गए। इसके बाद 11 अगस्त की अलसुबह फिर शटर का ताला तोड़कर 9 हजार रुपए कैश और किराना सामान चोरी कर लिया गया। संचालक के अनुसार इससे पहले जुलाई 2023 में भी उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट का प्रयास किया गया था। इन घटनाओं की शिकायत सीतापुर थाने में दर्ज कराई गई है। उसका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

गांव के युवक पर जताया शक : सत्यनारायण ने गांव के ही दीपक कुशवाहा पिता अनिरुद्ध कुशवाहा और उसके दो साथियों पर चोरी में शामिल होने का शक जताया है। उसका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे एक युवक की चाल-ढाल और शारीरिक बनावट संदिग्ध दीपक से मिलती है। हालांकि पुलिस की ओर से उसे आरोपी नहीं माना गया है। संचालक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

सीसीटीवी में दिखे तीन नकाबपोश : 11 अगस्त की घटना के सीसीटीवी फुटेज में अलसुबह करीब तीन युवक ग्राहक सेवा केंद्र के पास पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। तीनों ने चेहरे ढक रखे थे। उन्होंने पहले शटर का ताला तोड़ा। इसके बाद केसरिया रंग का गमछा सिर पर बांधे एक युवक शटर के नीचे से अंदर घुसता नजर आ रहा है। कुछ देर बाद आरोपी चोरी करने के बाद मौके से फरार होते भी दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित संचालक ने फुटेज सहित अन्य जानकारी एसएसपी को सौंपकर मामले की दोबारा जांच कराने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। एसएसपी की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

हम यहां के दादा हैं... अध्यक्ष के भतीजे से मारपीट, 2500 रुपए लूटे

रिपोर्ट करने पर चाकू से हमला कर जान से मारने की धमकी,दो नामजद समेत छह पर एफआईआर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के भतीजे के साथ मारपीट कर 2500 रुपए लूटने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने समलाया मंदिर के पास स्कूटी सवार युवक को रोककर पहले रुपए मांगे। रुपए देने से इनकार करने पर जेब से जबरन रकम निकाल ली और अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दो नामजद समेत छह आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनेंद्रगढ़ रोड पंजाब गार्डन के पीछे निवासी अभिरत सिंहदेव पिता अमिताभ सिंहदेव ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर की शाम करीब 6 बजे वह अपने दोस्त देव दुबे के साथ स्कूटी से महामायापारा निवासी शकील फिरदौसी के पास रायफल शूटिंग के संबंध में बातचीत करने जा रहा था। इसी दौरान समलाया मंदिर के पास गोलू पठान और राज बंगाला ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने अभिरत से रुपए की मांग की। रुपए देने से मना करने पर उसकी जेब से जबरन 2500 रुपए निकाल लिए। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए दोनों ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर अभिरत से मारपीट की।

इस दौरान उसके दोस्त देव दुबे ने माफी मांगकर किसी तरह उसे बचाया। मारपीट में आरोपियों ने उसका चश्मा भी तोड़ दिया।

थाने गए तो चाकू से मार देंगे... : पीड़ित के अनुसार मारपीट के दौरान आरोपियों ने खुद को क्षेत्र का दबंग बताते हुए कहा कि 'हम यहां के दादा हैं।' इसके बाद थाने में शिकायत करने पर चाकू से हमला कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद अभिरत ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

छह आरोपियों पर केस : पुलिस ने गोलू पठान, राज बंगाला समेत छह आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 119(1), 191(2), 296, 324(2) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच के साथ आरोपियों की भूमिका और घटना के अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।

आईपीएस के बेटे को घेरकर पीटा पिता के पद का भी दिया हवाला

बौरीपारा तालाब के पास आधा दर्जन युवकों ने हाथ-मुक्के, बेल्ट और कड़े से किया हमला; चार नामजद समेत अन्य पर एफआईआर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के बौरीपारा तालाब के पास 7 सितंबर की रात आधा दर्जन से अधिक युवकों ने आईपीएस अधिकारी के बेटे को घेरकर हाथ-मुक्के, बेल्ट और कड़े से बेदम पीट दिया। मारपीट में उसके सिर, चेहरे और कनपटी में चोटें आई हैं। आरोपियों ने मारपीट के दौरान उसके पिता के आईपीएस अधिकारी होने का हवाला देते हुए चुनौती भी दी। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने चार नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नमनाकला खटिकपारा निवासी 24 वर्षीय लेखांश कांत कुर्रे पिता रवि कुर्रे सिक्योरिटी एजेंसी संचालित करता है। उसके पिता वर्तमान में रायपुर में पदस्थ हैं और पूर्व में कोरिया जिले के एसपी रह चुके हैं। लेखांश ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्त विशाल सोनी और रोमी खान के साथ कार से बौरीपारा निवासी दोस्त प्रिंस गुप्ता के घर जा रहा था। प्रिंस के घर से कुछ दूर बौरीपारा तालाब के पास उसने कार रोक दी। वहां पहले से गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन, आशुतोष गुप्ता समेत अन्य युवक मौजूद थे। लेखांश कार से उतरकर प्रिंस से मोबाइल पर बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसने गोलू गणेश का नाम लिया। आरोप है कि इस पर रतन गुप्ता और कोया डॉन ने गाली-गलौज शुरू कर दी और कहा कि 'गोलू गणेश नहीं, बाप बोल।'

हाथ पकड़ा, फिर बेल्ट और कड़े से हमला

लेखांश के अनुसार इसके बाद गोलू गणेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष गुप्ता ने हाथ-मुक्के, बेल्ट और कड़े से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी दौरान कोया डॉन ने उसका गला दबाने का भी प्रयास किया। मारपीट में उसके सिर, चेहरे और कनपटी में चोटें आईं। उसके साथ मौजूद दोस्तों ने बीच-बचाव कर उसे आरोपियों से बचाया।

'तेरा बाप आईपीएस है तो हमारा क्या कर लेगा?'

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसके पिता के आईपीएस अधिकारी होने का हवाला देते हुए कहा कि 'तेरा बाप पुलिस ऑफिसर है तो हमारा क्या कर लेगा?' घटना के बाद लेखांश ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष गुप्ता समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

होली क्रॉस विमेंस कॉलेज में 1200 छात्राओं ने सीखे साइबर सुरक्षा के गुर

सरगुजा पुलिस के साइबर जागृति अभियान में ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और सोशल मीडिया सुरक्षा की दी जानकारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

साइबर अपराधों से नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'साइबर जागृति अभियान' के तहत सरगुजा पुलिस द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में होली क्रॉस विमेंस कॉलेज में वृहद साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1200 छात्राओं एवं 20 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा महिला कॉलेजों, छात्रावासों, सामुदायिक समूहों एवं महिला संगठनों से जुड़ी महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान साइबर सेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने छात्राओं को सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग तक बढ़ते साइबर खतरों की जानकारी दी। छात्राओं को बताया गया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय टू-स्टेप वेरिफिकेशन सक्रिय रखना चाहिए। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से बचने और सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग मजबूत रखने की सलाह दी गई। ऑनलाइन ठगी के संबंध में छात्राओं को विशेष रूप से सतर्क करते हुए बताया गया कि लॉटरी, पार्ट-टाइम जॉब, इनाम या अन्य लालच देकर भेजे जाने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी परिस्थिति में PI PIN, OTP, बैंक संबंधी जानकारी या अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। साइबर बुलिंग और ब्लैकमेलिंग के मामलों को लेकर भी छात्राओं को जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति परेशान करे, फर्जी प्रोफाइल बनाए या फोटो अथवा अन्य सामग्री के माध्यम से ब्लैकमेल करने का प्रयास करे तो डरने या दबाव में आने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। कार्यक्रम में निजी डेटा की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। छात्राओं को असुरक्षित वेबसाइट या संदिग्ध मोबाइल ऐप पर अपनी निजी तस्वीरें,दस्तावेज या संवेदनशील जानकारी अपलोड नहीं करने की सलाह दी गई। पुलिस टीम ने छात्राओं को साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने तथा cyber-crime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी। पुलिस ने साइबर ठगी होने पर बिना देरी किए शिकायत करने की अपील की, ताकि ठगी गई राशि को रोकने अथवा वापस कराने की कार्रवाई समय रहते की जा सके।

कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर शांता जोसेफ, उप प्राचार्य सिस्टर मंजू टोप्पो, 'नवा बिहान' संस्था से मंगल पांडे, अजय तिवारी, संतोष दास एवं हीना खान सहित उप निरीक्षक अभय तिवारी, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, साइबर एक्सपर्ट आरक्षक अनुज जायसवाल, अमन पुरी एवं अविनाश सोनवानी उपस्थित रहे। सरगुजा पुलिस के अनुसार साइबर जागृति अभियान के तहत जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा विशेष रूप से छात्राओं और महिलाओं को साइबर अपराध के नए तरीकों की जानकारी देकर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा 'सेवा संकल्प अभियान'

आशीर्वाद के दीये से लेकर सेवा गतिविधियों तक,जनभागीदारी पर रहेगा जोर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा एवं समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करने तथा विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प को जनभागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र नागरिकों तक पहुंचाने के साथ विभिन्न सेवा गतिविधियों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर वित्त एवं जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। उन्होंने जिलों में नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, कार्ययोजना और विभागीय दायित्वों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध एवं प्रभावी मैदानी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलेक्टोरेट के एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े कलेक्टर अजीत वसंत ने सरगुजा जिले में अभियान को लेकर की जा रही तैयारियों एवं कार्ययोजना की जानकारी दी। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। 17 सितंबर को 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के साथ अभियान की शुरुआत होगी। शाम को प्रत्येक परिवार को दीप प्रज्वलन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसे 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार और विकसित भारत-2047 के संकल्प का प्रतीक बनाया गया है। अभियान में '25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत' के तहत विद्यालयों में ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिताएं, 'नमो सेवा गाथा' के तहत नुक्कड़ नाटक तथा 'आंगन का उत्सव' के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं एवं बच्चों से संवाद और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा 'कहानी बदलाव की' के तहत सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों की वास्तविक कहानियां संकलित कर डिजिटल डेटा बैंक तैयार किया जाएगा। 'सेवा ज्योति यात्रा' के माध्यम से विकसित भारत-2047 का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा। 'सेवा मेरा योगदान' पहल के तहत नागरिकों एवं संस्थाओं को विभिन्न सेवा गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, जबकि 'सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार' के माध्यम से विधानसभा एवं विकासखंड स्तर पर शिविर लगाकर पात्र लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास होगा। अभियान के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा, जल जन सेवा संकल्प, रंगोली राष्ट्र/भारत मंडल, राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज तथा जनसेवक महाकुंभ जैसी गतिविधियां भी प्रस्तावित हैं। अधिकारियों को अभियान में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रेमी की प्रताडऩा से तंग युवती ने दी जान,आरोपी गिरफ्तार

दूसरी युवती से संबंध को लेकर था विवाद,पुलिस जांच में मारपीट और प्रताडऩा की बात सामने आई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सीतापारा स्थित किराए के मकान में रहने वाली 22 वर्षीय युवती ने 5 सितंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले की जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने युवती के प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी निवासी नैना तिर्की पिता प्रमोद तिर्की अंबिकापुर के सीतापारा में किराए के मकान में रहकर कपड़ा दुकान में काम करती थी। उसका प्रेम संबंध गोधनपुर निवासी अंबिकेश उर्फ गोलू गुप्ता से था। पुलिस जांच में सामने आया कि अंबिकेश का किसी दूसरी युवती से भी संबंध था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक, अंबिकेश द्वारा युवती के साथ मारपीट और प्रताड़ित किए जाने की बात जांच में सामने आई है। घटना से करीब दो दिन पहले युवती ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। उसके परिचित अशोक सिंह ने वाट्सऐप कॉल कर हालचाल पूछा तो युवती ने परेशान होने की बात बताई थी। 5 सितंबर की दोपहर युवती ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतका का मोबाइल जब्त कर परिजनों व परिचितों के बयान लिए गए। जांच में प्रेमी द्वारा कथित रूप से की जा रही मारपीट और प्रताडऩा से परेशान होकर युवती के आत्महत्या करने की बात सामने आने पर पुलिस ने अंबिकेश उर्फ गोलू गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है।

आबकारी एक्ट के स्थाई वारंटी को पुलिस ने पकड़ा

वर्षों से फरार आरोपी को न्यायालय में किया पेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

आबकारी एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे स्थाई वारंटी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस के अनुसार न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर आरोपी के खिलाफ स्थाई वारंट जारी किया गया था। पुलिस टीम ने वारंटी की पतासाजी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारियों को लंबित स्थाई एवं गिरफ्तारी वारंटों की तामिली कर लंबे समय से फरार वारंटियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने आबकारी एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी की तलाश शुरू की। धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी प्रकाश राम एक्का (22), निवासी गड़ाघाट रोड बौरीपारा, अंबिकापुर के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रकरण में न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था। कोतवाली पुलिस टीम ने वारंट की तामिली करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव और आरक्षक अभिषेक सिंह सक्रिय रहे।

दो डंपरों की भिड़ंत में घायल चालक की मौत

पत्थलगांव में हादसे के बाद अंबिकापुर रेफर किया गया था,मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़ा दम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

पत्थलगांव क्षेत्र में दो डंपरों की भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल चालक की अंबिकापुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ग्राम लभरी निवासी दशरथ (51) के रूप में हुई है। वह दिलीप बिल्डकॉन कंपनी में वाहन चालक के पद पर कार्यरत था। जानकारी के अनुसार दशरथ वर्ष 2017 से दिलीप बिल्डकॉन कंपनी, भोपाल में चालक के रूप में काम कर रहा था। वर्तमान में कंपनी का कार्य पत्थलगांव क्षेत्र में चल रहा है, जहां उसकी ड्यूटी लगी थी। बताया गया कि 7 सितंबर की रात करीब 11 बजे दशरथ डंपर क्रमांक एमएच-15 जीआर-1371 में मिट्टी लोड कर पत्थलगांव के मुंडापारा की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसके डंपर की सामने से आ रहे एक अन्य डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में दशरथ गंभीर रूप से घायल हो गया।

नाबालिगों को वाहन देना पड़ा भारी,3 वाहन मालिकों पर 75 हजार का जुर्माना

कोर्ट ने प्रत्येक वाहन मालिक पर लगाया 25-25 हजार का अर्थदंड,जागरूकता के बाद सरगुजा पुलिस की सख्ती

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नाबालिगों के वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सरगुजा पुलिस ने अब वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अंडरएज ड्राइविंग के तीन मामलों में पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों एवं वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने तीनों मामलों में प्रत्येक वाहन मालिक पर 25-25 हजार रुपये,यानी कुल 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस एवं जिले के सभी थाना-चौकी क्षेत्रों में पहले व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया था। शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ नाबालिगों को वाहन चलाने से होने वाले खतरों के बारे में समझाया गया। पुलिस ने अभिभावकों को भी स्पष्ट रूप से चेताया था कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस अपने बच्चों को वाहन न दें। पुलिस के अनुसार जागरूकता अभियान के दौरान ही वाहन मालिकों को यह जानकारी दी गई थी कि अंडरएज ड्राइविंग के मामलों में केवल नाबालिग चालक पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि वाहन उपलब्ध कराने वाले अभिभावक या वाहन मालिक के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने तीन नाबालिगों को वाहन चलाते पाए जाने पर उनके वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की और प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(ए) के तहत तीनों वाहन मालिकों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस का कहना है कि नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि बच्चे और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। कम उम्र में वाहन चलाने वाले बच्चे भारी यातायात,अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और आपात स्थिति में वाहन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं होते। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। सरगुजा पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की जिद या सुविधा के लिए उन्हें वाहन की चाबी न सौंपें। बच्चे के बालिग होने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने तक उन्हें वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जागरूकता अभियान के बाद अब नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यातायात पुलिस एवं थाना-चौकी की टीमें अंडरएज ड्राइविंग पर निगरानी रखेंगी।

प्रेमनगर के जल-जंगल-जमीन की लड़ाई तेज...शशि सिंह ने किया आंदोलन का ऐलान

प्रेमनगर में खनन के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल

तारा से शुरू होगा 'जंगल बचाओ आंदोलन'

जल,जंगल,जमीन हमर पहचान–शशि सिंह बोलीं,न जंगल उजड़ने देंगे,न जमीन छिनने देंगे

न जंगल उजड़ने देंगे,न जमीन छिनने देंगे,प्रेमनगर में खनन के खिलाफ आंदोलन का ऐलान

खनन की आहट से एकजुट हुए ग्रामीण,तारा में 'जंगल बचाओ आंदोलन' की शुरुआत

खनन के विरोध में ग्रामीणों का हुंकार,तारा से उठी जल-जंगल-जमीन बचाने की आवाज

'हमें खनन नहीं,विकास चाहिए', प्रेमनगर में जंगल बचाने ग्रामीण हुए लामबंद

प्रेमनगर में खनन के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल,तारा से शुरू होगा 'जंगल बचाओ आंदोलन'

-संवाददाता-
सूरजपुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

प्रेमनगर क्षेत्र में प्रस्तावित खनन गतिविधियों को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक विरोध तेज होने के संकेत हैं,क्षेत्र के जल,जंगल, जमीन,ग्रामीणों की आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने व्यापक आंदोलन की घोषणा की है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों और ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस ग्रामीणों के साथ खड़ी रहेगी और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने 'जल,जंगल,जमीन हमर पहचान' का नारा देते हुए कहा कि प्रेमनगर क्षेत्र के गांवों को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को ऐसा विकास चाहिए, जिसमें उनकी जमीन, जंगल, आजीविका और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे,ग्रामीणों की सहमति और उनके हितों की अनदेखी कर होने वाली किसी भी गतिविधि का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा।

कई पंचायतों पर खनन की तैयारियों का असर

कांग्रेस के अनुसार प्रेमनगर क्षेत्र की तारा, जनार्दनपुर,कांटारोली और मेंडरा पंचायतों सहित सलका, चन्दनगर,अभयपुर और शिवनगर जैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र खनन की तैयारियों से प्रभावित हो सकते हैं,इन क्षेत्रों के ग्रामीणों में अपनी जमीन, जंगल और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है,ग्रामीणों का कहना है कि वे क्षेत्र में विकास के विरोधी नहीं हैं। उनका स्पष्ट मत है कि हमें खनन नहीं, विकास चाहिए, ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ ऐसा विकास होना चाहिए, जिससे उनकी जमीन और प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहें,कांग्रेस ने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित रखने के बजाय प्रभावित गांवों के ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर जनआंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी शुरू की है।

जंगल और जमीन के साथ आजीविका का सवाल

प्रेमनगर क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए जंगल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं,बल्कि उनके जीवन और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है,जंगल से मिलने वाले लघु वनोपज, कृषि आधारित गतिविधियां,पशुपालन और अन्य परंपरागत रोजगार ग्रामीण परिवारों की आजीविका से जुड़े हैं,खनन के कारण जमीन और जंगल प्रभावित होने की स्थिति में ग्रामीणों के सामने विस्थापन,आजीविका और पुनर्वास जैसे सवाल भी खड़े हो सकते हैं, कांग्रेस का कहना है कि किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले प्रभावित ग्रामीणों के हितों,उनकी जमीन, पर्यावरण और सामाजिक संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए,जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने कहा कि 'न जंगल उजड़ने देंगे,न जमीन छिनने देंगे' के संकल्प के साथ ग्रामीणों की आवाज को लोकतांत्रिक मंच पर मजबूती से उठाया जाएगा,उन्होंने कहा कि संघर्ष का उद्देश्य किसी विकास परियोजना का विरोध करना मात्र नहीं है,बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों के अधिकार और हित सुरक्षित रहें।

तारा रेस्ट हाउस में जुटे जनप्रतिनिधि और प्रभावित क्षेत्र के लोग-

आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार करने के लिए तारा रेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, बैठक में क्षेत्र के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ खनन प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए, बैठक में पूर्व विधायक भानुप्रताप सिंह, इस्माइल खान, अशोक जगते, मेहंदी यादव,अविनाश साहू, समर्थ प्रजापति और साधना सहित प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही, इसके अलावा विभिन्न पंचायतों के मुखिया, सरपंच एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी बैठक में अपनी बात रखी,बैठक में क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, संभावित खनन गतिविधियों और उससे ग्रामीणों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चर्चा की गई, साथ ही आने वाले दिनों में ग्रामीणों को व्यापक स्तर पर जोड़ने, पंचायतवार संवाद करने और आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया।

पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को जोड़ने की तैयारी

कांग्रेस अब प्रभावित गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद करने की तैयारी में है, पार्टी का कहना है कि आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं ग्रामीणों की होगी, जिनकी जमीन,जंगल और आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है,इसके लिए पंचायत स्तर पर बैठकें,ग्रामीणों से संवाद और स्थानीय समस्याओं को सामने लाने की योजना बनाई जा रही है,कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा तथा ग्रामीणों की मांगों को प्रशासन और शासन के समक्ष रखा जाएगा।

विकास बनाम विस्थापन नहीं,ग्रामीण हित में विकास की मांग

इस पूरे मामले में कांग्रेस ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उसका विरोध विकास के खिलाफ नहीं है, पार्टी का कहना है कि विकास ऐसा होना चाहिए, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो और उनकी जमीन, पर्यावरण,आजीविका तथा सामाजिक पहचान सुरक्षित रहे,शशि सिंह ने कहा कि प्रेमनगर क्षेत्र की पहचान उसके जंगल, जलस्त्रोत, कृषि भूमि और ग्रामीण जीवन से है,यदि विकास के नाम पर इन संसाधनों को नुकसान पहुंचता है तो उसका सीधा असर ग्रामीणों और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा,इसलिए क्षेत्र के लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज किए बिना आगे की प्रक्रिया तय की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ग्रामीणों की आवाज को हर लोकतांत्रिक मंच पर उठाएगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा।

अब प्रशासन की भूमिका पर नजर

प्रेमनगर क्षेत्र में खनन को लेकर कांग्रेस द्वारा आंदोलन की घोषणा के बाद अब प्रशासन और संबंधित विभागों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है,प्रभावित ग्रामीणों की आशंकाओं, प्रस्तावित गतिविधियों और उनके संभावित सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं,इस पर क्षेत्रवासियों की नजर रहेगी,फिलहाल तारा से शुरू हुई यह पहल आने वाले दिनों में कितना व्यापक रूप लेती है,यह प्रभावित गांवों में होने वाली बैठकों और ग्रामीणों की भागीदारी पर निर्भर करेगा, कांग्रेस ने इसे 'जल-जंगल-जमीन और ग्रामीणों के भविष्य की लड़ाई' बताते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता की शिकायत पर बतौली पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई,आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

-संवाददाता-
बतौली,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शादी का झांसा देकर महिला से कथित रूप से दुष्कर्म करने के मामले में बतौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया,जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार,पीड़िता ने 7 सितंबर 2026 को थाना बतौली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम भड़गांवां,थाना चैनपुर, जिला पलामू (झारखंड) निवासी पंकज कुमार ने उसे पसंद करने की बात कहते हुए शादी का झांसा दिया और जबरन दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर बतौली पुलिस ने अपराध क्रमांक 115/26, धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता का कथन दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम के लगातार प्रयास से आरोपी पंकज कुमार आत्मज राजेश राम, उम्र 39 वर्ष,निवासी भड़गांवां,थाना चैनपुर,जिला पलामू (झारखंड) को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किए जाने तथा मामले में अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला संबंधी अपराधों में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

कैट सरगुजा की नवीन कार्यकारिणी 2026-2028 की घोषणा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सरगुजा की नवीन कार्यकारिणी 2026-2028 की घोषणा की गई। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया,राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन एवं इकाई प्रभारी कन्हैया गुप्ता के अनुमोदन तथा राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर पारवानी द्वारा जारी कार्यकारिणी की घोषणा कैट छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने कैट सदस्यों की उपस्थिति में की। नई कार्यकारिणी में रंजय स्वर्णकार को जिला अध्यक्ष तथा अभिषेक सिंह (पिंटू) को महामंत्री बनाया गया है। वहीं मुकेश शर्मा को कोषाध्यक्ष, महेंद्र सिंह टुटेजा को मीडिया प्रभारी तथा अमित सिंह मानू को मीडिया सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। जिला उपाध्यक्ष के रूप में सतीश अग्रवाल (मेंस वियर), मुकेश अग्रवाल (मनोकामना), सुरेश नागवानी (नारायण स्टोर) एवं अजीत त्रिपाठी (अभय ट्रेडर्स) को शामिल किया गया है। मंत्री पद की जिम्मेदारी शांतनु गर्ग (माखन विहार), अब्दुल वाहिद रहमानी, गुरुणध्वज गुप्ता (आनंद परिवार), विकास तिवारी (अंबे पानी) एवं राहुल गर्ग (सुजुकी मोटर्स) को दी गई है। कार्यकारिणी सदस्यों में सौरभ कुमार केसरीवानी (कमोदा रिसॉर्ट), आशीष सेठी, धीरज अग्रवाल (तनय मोटर्स), आलोक जायसवाल, विनोद जसवानी एवं आशुतोष गर्ग शामिल हैं। इसी प्रकार कार्यसमिति सदस्यों में रविंद्र तिवारी, मुकेश अग्रवाल, अजीत अग्रवाल, आदर्श बंसल, अभिषेक जायसवाल, पंकज गुप्ता, राजू छाबड़ा, अमित अग्रवाल एवं फिरोज फिरदौसी को स्थान दिया गया है। संरक्षक सदस्य के रूप में सुनील अग्रवाल (टाटा मोटर्स), राजीव जसवानी, राजकुमार बंसल एवं अशोक नागवानी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नई कार्यकारिणी के गठन के अवसर पर संगठन से जुड़े सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। संगठन से जुड़े लोगों ने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी अपने अनुभव एवं नेतृत्व क्षमता के साथ सरगुजा के व्यापारियों की आवाज को मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही व्यापारिक हितों की रक्षा, संगठन के विस्तार और व्यापारी एकता को मजबूत करने की दिशा में सक्रियता से कार्य करेगी।

वाहिद अली बने असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के कुसमी ब्लॉक अध्यक्ष

प्रदेश महासचिव राम सूर्यवंशी ने जारी किया नियुक्ति पत्र, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का लिया संकल्प

-संवाददाता-
बलरामपुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ प्रदेश असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस ने संगठन विस्तार के क्रम में बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक की जिम्मेदारी वाहिद अली को सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर के अनुमोदन के बाद प्रदेश कार्यालय प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव राम सूर्यवंशी ने उनकी नियुक्ति का आधिकारिक पत्र जारी किया। 29 अगस्त 2026 को जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार जिला अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक अध्यक्षों की सूची को प्रदेश नेतृत्व ने स्वीकृति प्रदान की है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की नीतियों एवं कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने के साथ संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की जिम्मेदारी दी गई है। वाहिद अली की नियुक्ति की खबर मिलते ही कुसमी क्षेत्र में संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। समर्थकों ने कहा कि उनके नेतृत्व में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, कर्मचारियों और कामगारों की समस्याओं को संगठन के माध्यम से प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया जाएगा। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष वाहिद अली ने प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कुसमी क्षेत्र के असंगठित कामगारों को उनके अधिकारों और शासन की श्रमिक हितैषी योजनाओं के प्रति जागरूक करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने संगठन को ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा कामगारों की समस्याओं को उचित मंच पर उठाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने की बात कही। नियुक्ति के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने वाहिद अली को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर 10 सितंबर को मंत्री के बंगले का घेराव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नगर निगम क्षेत्र सहित अंबिकापुर शहर की जर्जर सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की मांग को लेकर गुरुवार, 10 सितंबर को दोपहर 1 बजे गांधी चौक स्थित मंत्री एवं अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के निवास का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सुजान बिन्द ने बताया कि शहर की कई सड़कें लंबे समय से जर्जर स्थिति में हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सड़कें शामिल हैं। सड़कों की खराब स्थिति के कारण आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कों के निर्माण एवं आवश्यक मरम्मत की मांग को लेकर मंत्री एवं विधायक का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट कराया जाएगा।

आईसी मार्ट प्रकरण में हाईकोर्ट से जगत बैद और दीपक बैद को अंतरिम राहत

अग्रिम जमानत याचिकाओं पर कोर्ट ने दी अंतरिम सुरक्षा,अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक;पुलिस जांच के तरीके पर फिर उठे सवाल

आईसी मार्ट प्रकरण में पुलिस जांच के तरीके पर कोर्ट की नजर,फरारी पंचनामा,CCTV DVR, तलाश में इस्तेमाल वाहन और प्रेस रिलीज को लेकर जवाब तलब

8 सितंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा...पुलिस प्रशासन द्वारा जांच करने के तरीके को देखते हुए जगत बैद और दीपक बैद को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत,29 सितंबर को फिर होगी सुनवाई

एफआईआर 9 जुलाई को...फरारी पंचनामा 10 जुलाई को क्यों? कोर्ट ने मांगा जवाब,वाहन की जानकारी और CCTV DVR रिपोर्ट भी तलब,29 सितंबर को अगली सुनवाई

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/बिलासपुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। आईसी मार्ट प्रकरण में दैनिक घटती-घटना द्वारा शुरुआत से उठाए जा रहे पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच की निष्पक्षता से जुड़े सवाल अब महज मीडिया की पड़ताल तक सीमित नहीं रह गए हैं,मामले की न्यायिक कार्यवाही में हाईकोर्ट ने भी पुलिस प्रशासन द्वारा जांच किए जाने के तरीके पर गंभीरता से गौर किया है, 8 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई के आदेश में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से 'manner of conducting the investigation by the Police Administration' ('पुलिस प्रशासन द्वारा जांच करने का तरीका) 'को ध्यान में रखते हुए जगत कुमार बैद और दीपक बैद को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है,यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दैनिक घटती-घटना ने इस प्रकरण के शुरुआती घटनाक्रम से ही सवाल उठाया था कि क्या मामले की जांच सभी पहलुओं को सामने रखकर की जा रही है,क्या उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों का समय पर इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या पुलिस की कार्रवाई में प्रक्रिया का पूरा पालन हुआ है? अब हाईकोर्ट के आदेशों में सामने आए सवालों ने इन मुद्दों को एक नया कानूनी आयाम दे दिया है। बता दे की आईसी मार्ट आत्महत्या प्रकरण में हाईकोर्ट ने आरोपी जगत कुमार बैद और दीपक बैद को महत्वपूर्ण अंतरिम राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर एड-इंटरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है, न्यायालय ने अगली सुनवाई तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा की गई जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयासों को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां और दस्तावेज मांगे हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में 8 सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ के समक्ष CRA No. 1795/2026, जगत कुमार बैद बनाम राज्य छत्तीसगढ़ तथा CRA No. 1800/2026 की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश में अपराध क्रमांक 214/2026, थाना बैकुंठपुर में दर्ज अपराध और उसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 3(5), 107,296, 308(2),309(4) तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(1) का उल्लेख है।

आरोपी बोले...सामान्य और सामूहिक आरोप,सक्रिय भूमिका का स्वतंत्र साक्ष्य नहीं-सुनवाई के दौरान जगत बैद और दीपक बैद की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि दोनों को सामान्य एवं सामूहिक आरोपों के आधार पर प्रकरण में आरोपी बनाया गया है और उनकी अपराध में सक्रिय भागीदारी स्थापित करने वाली कोई स्वतंत्र सामग्री नहीं है,आदेश में दर्ज है कि बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि घटनास्थल पर केवल मौजूदगी, बिना किसी आपराधिक भागीदारी या किसी विशेष कृत्य के प्रमाण के,अग्रिम जमानत से राहत न देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती,इसी आधार पर दोनों की ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई,वहीं राज्य की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया और याचिकाएं खारिज करने की मांग की गई।

तत्कालीन एसपी रवि कुर्रे और डीएसपी आशा रानी सेन कोर्ट में मौजूद

हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में तत्कालीन कोरिया एसपी रवि कुर्रे तथा डीएसपी आशा रानी सेन व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए,इसके बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और पुलिस प्रशासन द्वारा जांच किए जाने के तरीके को ध्यान में रखते हुए दोनों याचिकाकर्ताओं को अंतरिम अग्रिम जमानत देने का निर्णय लिया।

पहले खबरों में सवाल थे,अब न्यायालय के आदेश में दर्ज हैं...

आईसी मार्ट प्रकरण में शुरुआत से ही घटनाक्रम की कई कड़ियों को लेकर सवाल उठते रहे, कथित चोरी, उसके बाद की परिस्थितियां,मृतका के साथ कथित व्यवहार,पुलिस तक पहुंची जानकारी,घटना और आत्महत्या के बीच का घटनाक्रम तथा बाद में हुई पुलिस कार्रवाई–इन सभी पहलुओं को लेकर दैनिक घटती-घटना ने लगातार यह सवाल रखा कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच कितनी निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से हो रही है,अखबार ने किसी पक्ष को दोषी घोषित करने के बजाय बार-बार यह सवाल उठाया कि मामले की प्रत्येक कड़ी की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए,अब हाईकोर्ट की कार्यवाही में भी जांच के ऐसे ही पहलुओं पर पुलिस से रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण मांगा गया है, अर्थात जिन सवालों को पत्रकारिता के स्तर पर उठाया जा रहा था, उनमें से कई अब न्यायालय की निगरानी में जांच के विषय बन चुके हैं।

8 सितंबर का आदेश: पुलिस जांच के तरीके पर कोर्ट की नजर-8 सितंबर को हाईकोर्ट के समक्ष CRA No. 1795/2026, जगत कुमार बैद बनाम राज्य छत्तीसगढ़ और CRA No. 1800/2026 की सुनवाई हुई, दोनों मामलों में आरोपी पक्ष ने अग्रिम जमानत की मांग की थी,बचाव पक्ष ने अदालत के सामने तर्क दिया कि आरोपियों को सामान्य और व्यापक आरोपों के आधार पर फंसाया गया है तथा उनके खिलाफ सक्रिय भागीदारी का स्वतंत्र सामग्री से पर्याप्त आधार नहीं है, राज्य ने इसका विरोध किया,सुनवाई के दौरान तत्कालीन कोरिया एसपी रवि कुर्रे और डीएसपी आशा रानी सेन न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए,इसके बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और पुलिस प्रशासन द्वारा जांच किए जाने के तरीके को देखते हुए दोनों अपीलकर्ताओं को अंतरिम अग्रिम जमानत देना उचित माना, अभियोजन को अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया,गिरफ्तारी होने की स्थिति में 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई का निर्देश दिया गया और आरोपियों को अभियोजन के साथ सहयोग करने को कहा गया,यह अंतिम अग्रिम जमानत नहीं है,यह अगली सुनवाई तक की अंतरिम सुरक्षा है।

एफआईआर 9 जुलाई को,फरारी पंचनामा 10 जुलाई को...कोर्ट ने पूछा क्यों?-8 सितंबर के आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस की कार्रवाई की टाइमलाइन से जुड़ा है,हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि जब एफआईआर 9 जुलाई 2026 को दर्ज हुई,तो उसके एक दिन बाद 10 जुलाई को फरारी पंचनामा जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोर्ट ने यह भी पूछा है कि उस अवधि में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कौन-कौन से कदम उठाए,इतना ही नहीं,आरोपियों की तलाश में इस्तेमाल किए गए वाहन की जानकारी भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, यही वह बिंदु है जहां पुलिस की कार्रवाई की टाइमलाइन खुद एक महत्वपूर्ण सवाल बन गई है, एफआईआर–9 जुलाई,फरारी पंचनामा–10 जुलाई,अब कोर्ट जानना चाहता है कि इन दोनों के बीच पुलिस ने क्या कार्रवाई की और फरारी पंचनामा की आवश्यकता क्यों पड़ी,इसका जवाब अब पुलिस को दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ देना होगा।

CCTV DVR पर भी कोर्ट सख्त—जब्त हुआ तो स्रस्रू क्यों नहीं पहुंचा? CCTV DVR रिपोर्ट अब हर हाल में पेश करनी होगी-मामले का दूसरा बड़ा सवाल CCTV DVR को लेकर है,21 अगस्त की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया था कि घटना 7 जुलाई 2026 को हुई और CCTV का DVR 10 जुलाई को जब्त किया गया था, लेकिन वह उस समय तक फॉरेंसिक लैब नहीं भेजा गया था,हाईकोर्ट ने तब DVR रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे,अब 8 सितंबर के आदेश में कोर्ट ने फिर DVR रिपोर्ट को अगली सुनवाई में रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है, आदेश की प्रति FSL को भेजने और अगली सुनवाई पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है,रिपोर्ट नहीं आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है,यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि CCTV इस पूरे मामले का संभावित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य हो सकता है,ऐसे में सवाल यह है कि जब DVR पुलिस ने जब्त कर लिया था,तो उसकी फॉरेंसिक जांच में देरी क्यों हुई? इसका जवाब अब न्यायालय के सामने रिकॉर्ड के साथ रखना होगा।

आरोपियों की तलाश में इस्तेमाल वाहन की भी मांगी जानकारी-हाईकोर्ट ने पुलिस से केवल गिरफ्तारी के प्रयासों का विवरण ही नहीं मांगा है,बल्कि यह भी निर्देश दिया है कि आरोपियों की तलाश के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन का पूरा विवरण रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया जाए,अब पुलिस को न्यायालय के समक्ष यह बताना होगा कि आरोपियों की तलाश के दौरान कौन-सा वाहन इस्तेमाल किया गया और उस संबंध में क्या रिकॉर्ड उपलब्ध है।

हाईकोर्ट के लगातार आदेशों से पुलिस जांच पर बढ़ी निगरानी-आईसी मार्ट प्रकरण में हाईकोर्ट के लगातार आदेशों के बाद अब जांच प्रक्रिया के कई पहलू न्यायालय की निगरानी में आ गए हैं,पहले न्यायालय ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोपों के बीच पुलिस अधिकारियों से जानकारी मांगी थी, बाद में पुलिस वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज में आरोपियों को फरार बताए जाने और उनकी लंबित अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में भी सवाल उठाए गए थे, अब 8 सितंबर के आदेश में न्यायालय ने स्वयं पुलिस प्रशासन द्वारा जांच किए जाने के तरीके को ध्यान में रखते हुए दोनों आरोपियों को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है।

मामला अब सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं, जांच की प्रक्रिया भी सवालों में-हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद आईसी मार्ट प्रकरण में न्यायिक लड़ाई का दायरा और बढ़ गया है, अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जगत बैद और दीपक बैद की अग्रिम जमानत आगे स्थायी होती है या नहीं,बल्कि पुलिस द्वारा जांच किस तरीके से की गई,गिरफ्तारी के प्रयास कब और कैसे किए गए,फरारी पंचनामा किस आधार पर तैयार हुआ और CCTV DVR की फॉरेंसिक जांच में क्या सामने आता है...इन सभी बिंदुओं पर न्यायालय की नजर है,हालांकि हाईकोर्ट ने अपने 8 सितंबर के आदेश में आरोपियों को दोषमुक्त घोषित नहीं किया है और न ही पुलिस को दोषी ठहराया है,न्यायालय ने उपलब्ध परिस्थितियों और जांच के तरीके को देखते हुए फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत दी है तथा पुलिस से आवश्यक स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे हैं, अब 29 सितंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। उस दिन पुलिस द्वारा पेश की जाने वाली फरारी पंचनामा संबंधी जानकारी, गिरफ्तारी के प्रयासों का विवरण,इस्तेमाल किए गए वाहन की जानकारी और विशेष रूप से CCTV DVR की स्रस्रुरिपोर्ट मामले की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है।

21 अगस्त को भी कोर्ट ने पुलिस की प्रेस रिलीज पर मांगा था जवाब-पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर न्यायालय की चिंता केवल DVR तक सीमित नहीं रही,21 अगस्त के आदेश में हाईकोर्ट के समक्ष यह तथ्य रखा गया था कि कोरिया पुलिस की वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज जारी कर आरोपियों को फरार बताया गया,जबकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित थी,इस पर तत्कालीन एसपी रवि कुर्रे को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया गया था कि प्रेस रिलीज जारी करने से पहले पुलिस ने कौन-सी सामग्री जुटाई थी और क्या हाईकोर्ट में लंबित अग्रिम जमानत की स्थिति का महाधिवक्ता कार्यालय से सत्यापन किया गया था,यानी सवाल केवल'आरोपी फरार थे या नहीं' का नहीं था,बल्कि सवाल यह था कि पुलिस ने सार्वजनिक रूप से ऐसी सूचना जारी करने से पहले उपलब्ध न्यायिक स्थिति और तथ्यों का सत्यापन किस स्तर पर किया।

दैनिक घटती-घटना ने शुरुआत से क्या पूछा था?-इस पूरे प्रकरण में दैनिक घटती-घटना का सवाल किसी आरोपी को बचाने या किसी दूसरे पक्ष को दोषी ठहराने का नहीं रहा है,सवाल शुरू से यही रहा की घटना से पहले क्या हुआ? पुलिस को किस समय और किस माध्यम से जानकारी मिली? यदि किसी प्रकार की कथित प्रताड़ना की जानकारी थी तो क्या कार्रवाई हुई? घटना और आत्महत्या के बीच की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच हुई या नहीं? CCTV और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण समय पर क्यों नहीं हुआ? पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज का आधार क्या था? न्यायालय में अग्रिम जमानत लंबित होने के बावजूद आरोपियों को फरार बताए जाने से पहले कानूनी स्थिति का सत्यापन हुआ या नहीं? एफआईआर के अगले ही दिन फरारी पंचनामा तैयार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आरोपियों की तलाश में कौन-सा वाहन इस्तेमाल हुआ और उसका रिकॉर्ड क्या है? जांच में किसी भी संबंधित पुलिसकर्मी या प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका होने पर उसकी स्वतंत्र जांच कैसे सुनिश्चित की गई? आज इन सवालों में से कई सवाल हाईकोर्ट के आदेशों में दर्ज हो चुके हैं।

29 सितंबर को होगी अगली परीक्षा-हाईकोर्ट ने दोनों मामलों को 29 सितंबर 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, अब अगली सुनवाई में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर नजर रहेगी 9 जुलाई की स्रद्धक्र के बाद 10 जुलाई को फरारी पंचनामा क्यों बनाया गया? आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उस दौरान पुलिस ने क्या कदम उठाए? आरोपियों की तलाश में इस्तेमाल वाहन कौन-सा था और उसका रिकॉर्ड क्या है? CCTV DVR की FSL रिपोर्ट क्या कहती है? पुलिस की पिछली कार्रवाई और न्यायालय के निर्देशों के बीच क्या स्थिति सामने आती है?

सबसे बड़ा सवाल: क्या अब जांच की दिशा बदलेगी?-आईसी मार्ट प्रकरण अब केवल एक आत्महत्या,एफआईआर या अग्रिम जमानत का मामला नहीं रह गया है, यह मामला जांच की प्रक्रिया,पुलिस की जवाबदेही और वैज्ञानिक साक्ष्यों के इस्तेमाल का भी परीक्षण बन गया है,दैनिक घटती-घटना ने शुरुआत से पुलिस की भूमिका और जांच की दिशा को लेकर सवाल उठाए थे,तब ये सवाल पत्रकारिता की पड़ताल के रूप में सामने थे, अब हाईकोर्ट के आदेशों में पुलिस की जांच के तरीके,फरारी पंचनामा,प्रेस रिलीज, CCTV DVR और तलाश की कार्रवाई पर जवाब मांगा जाना यह दिखाता है कि मामले की जांच प्रक्रिया स्वयं न्यायिक scrutiny के दायरे में आ चुकी है, न्यायालय ने अभी किसी पक्ष को दोषी नहीं माना है, लेकिन उसने पुलिस से यह जरूर पूछना शुरू कर दिया है कि जांच आखिर किस तरीके से की गई और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ क्या किया गया,और यही आईसी मार्ट प्रकरण का सबसे अहम मोड़ है,अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आरोपी कौन है,बल्कि यह भी है कि जांच कितनी निष्पक्ष,पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से हुई।

पीएमश्री सेजेस नवापारा की व्याख्याता सुप्रिया ओझा का राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए चयन

21 से 25 सितंबर तक भोपाल में होगा आवासीय प्रशिक्षण,आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और एनईपी-2020 पर मिलेगा प्रशिक्षण

-संवाददाता-

सूरजपुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। पीएमश्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (सेजेस) नवापारा, जिला सूरजपुर की व्याख्याता वाणिज्य सुप्रिया ओझा का चयन राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ है,उनका चयन विद्यालय ही नहीं,बल्कि पूरे सूरजपुर जिले के लिए गौरव की उपलब्धि माना जा रहा है। समग्र शिक्षा (प्रारंभिक),छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार पीएमश्री योजना के अंतर्गत उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की क्षमता संवर्धन एवं व्यावसायिक विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है,यह प्रशिक्षण 21 से 25 सितंबर 2026 तक भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में आयोजित होगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में वाणिज्य विषय के शिक्षण को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा,इसमें आधुनिक शिक्षण पद्धतियों,नवाचार आधारित शिक्षण तकनीकों, गतिविधि एवं परियोजना आधारित अधिगम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रभावी शिक्षण विधियों से शिक्षकों को परिचित कराया जाएगा,सुप्रिया ओझा पीएमश्री सेजेस नवापारा में वाणिज्य विषय के अध्यापन के साथ विद्यार्थियों में व्यावहारिक एवं व्यावसायिक समझ विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं,परियोजना आधारित अधिगम,डिजिटल शिक्षा और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को विषय की बेहतर समझ विकसित कराने के प्रयास उनके शैक्षणिक कार्यों का हिस्सा रहे हैं,जिला शिक्षा विभाग के अनुसार, उनका चयन शैक्षणिक योगदान,विषयगत दक्षता,नवाचार के प्रति रुचि और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के आधार पर हुआ है, राष्ट्रीय स्तर के इस प्रशिक्षण में शामिल होने से उन्हें देशभर के शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के साथ शैक्षणिक अनुभव साझा करने और नई शिक्षण तकनीकों को सीखने का अवसर मिलेगा,श्रीमती ओझा ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव को विद्यालय में विद्यार्थियों के शिक्षण को और प्रभावी बनाने के साथ-साथ अन्य शिक्षकों के साथ भी साझा किया जाएगा,उनका प्रयास रहेगा कि आधुनिक शिक्षण तकनीकों और नवाचारों का उपयोग कर वाणिज्य विषय को विद्यार्थियों के लिए अधिक व्यावहारिक, रुचिकर एवं उपयोगी बनाया जा सके,सुप्रिया ओझा के चयन पर विद्यालय परिवार,पालकगण एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं दी हैं, उनका चयन पीएमश्री सेजेस नवापारा के साथ-साथ सूरजपुर जिले के लिए भी महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि माना जा रहा है।

आश्रम से लापता कक्षा 4 के छात्र की डूबने से मौत...अधीक्षक निलंबित

प्रिंस सिंह की मौत ने आदिवासी आश्रमों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर खड़े किए गंभीर सवाल...कलेक्टर ने एसडीएम सोनहत को सौंपी विस्तृत जांच...

-रवि सिंह-

सोनहत/कोरिया,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। आदिवासी बालक आश्रम मझारटोला में रहकर पढ़ाई कर रहे कक्षा 4 वीं के छात्र प्रिंस सिंह की आश्रम से लापता होने के बाद पानी में डूबने से हुई मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है,एक नाबालिग छात्र का आश्रम से बाहर निकल जाना और उसके अनुपस्थित होने की सूचना समय पर उच्चाधिकारियों तक नहीं पहुंचना अब पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन गया है,घटना के बाद जिला प्रशासन ने प्रथमदृष्टया लापरवाही मानते हुए आश्रम अधीक्षक अशोक एक्का को निलंबित कर दिया है,वहीं,मामले की वास्तविक परिस्थितियों और जिम्मेदारी तय करने के लिए एसडीएम सोनहत को विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रिंस सिंह,पिता बिजेन्द्र सिंह,आदिवासी बालक आश्रम मझारटोला में रहकर कक्षा 4वीं में अध्ययनरत था,उपलब्ध जानकारी के अनुसार 8 सितंबर 2026 की सुबह करीब 7 बजे से छात्र आश्रम से अनुपस्थित था,इसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई और बाद में उसके पानी में डूबने से मौत की जानकारी सामने आई, घटना की खबर मिलते ही परिजनों,ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों में शोक के साथ-साथ आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई,मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि आश्रम में रहने वाले बच्चे अपने परिवार से दूर रहकर शासकीय व्यवस्था की निगरानी और जिम्मेदारी में रहते हैं,ऐसे में किसी बच्चे की उपस्थिति,अनुपस्थिति और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आश्रम प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है।

डूबने से मौत ने बढ़ाई चिंता...

आश्रम से लापता होने के बाद प्रिंस का शव पानी में डूबे हुए अवस्था में मिलने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को और बढ़ा दिया है,नाबालिग बच्चा आश्रम परिसर से बाहर किस परिस्थिति में गया,वह किस रास्ते से गया और पानी तक कैसे पहुंचा...ये सभी प्रश्न अब जांच के महत्वपूर्ण हिस्से हैं,यह भी पता लगाया जाना जरूरी है कि आश्रम में बच्चों की नियमित उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था क्या थी और उसका पालन किस तरह किया जा रहा था,क्या सुबह बच्चों की उपस्थिति ली गई थी? क्या किसी कर्मचारी ने प्रिंस की अनुपस्थिति को तत्काल नोटिस किया? यदि किया तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? इन तमाम बिंदुओं का जवाब जांच में सामने आने की उम्मीद है।

सुबह से छात्र था गायब,सूचना में देरी पर सवाल-घटना का सबसे संवेदनशील पहलू छात्र के आश्रम से अनुपस्थित होने के बाद की व्यवस्था है,प्रशासन के अनुसार आश्रम अधीक्षक अशोक एक्का ने छात्र के आश्रम से अनुपस्थित होने की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को नहीं दी,यही चूक अब प्रशासनिक कार्रवाई का आधार बनी है, सवाल यह है कि यदि सुबह करीब 7 बजे से छात्र आश्रम में मौजूद नहीं था,तो उसकी अनुपस्थिति का पता कब चला? उसकी तलाश किस स्तर पर शुरू हुई? आश्रम के कर्मचारियों ने छात्र को खोजने के लिए क्या कदम उठाए? उच्चाधिकारियों को सूचना देने में कितना समय लगा? और यदि सूचना समय पर दी जाती तो क्या छात्र की तलाश और व्यापक स्तर पर तत्काल शुरू की जा सकती थी? इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएगा,प्रशासन ने प्रथमदृष्टया सूचना देने में हुई देरी को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की है,इससे यह संकेत भी मिलता है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में केवल घटना होना ही नहीं,बल्कि घटना से पहले और बाद में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम भी जांच के दायरे में रहेंगे।

कलेक्टर ने एसडीएम को सौंपी विस्तृत जांच-घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोक्तिमा यादव ने मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं, जांच की जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सोनहत को सौंपी गई है,जांच का उद्देश्य केवल यह पता लगाना नहीं होगा कि छात्र की मौत पानी में डूबने से हुई,बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होगा कि वह आश्रम से बाहर कैसे गया और उसकी अनुपस्थिति के बाद आश्रम प्रबंधन ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्या कदम उठाए,जांच में आश्रम की निगरानी व्यवस्था,कर्मचारियों की ड्यूटी,छात्र की उपस्थिति,उसके लापता होने की सूचना,तलाश की कार्रवाई तथा उच्चाधिकारियों को जानकारी देने में हुए विलंब जैसे बिंदुओं की जांच की जा सकती है,प्रशासन की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि जांच में यदि अन्य अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एक अधीक्षक पर कार्रवाई से खत्म होंगे सवाल?-अधीक्षक अशोक एक्का का निलंबन प्रशासन की तत्काल कार्रवाई है, लेकिन घटना ने उससे कहीं बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं,यदि किसी आश्रम में बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल अधीक्षक तक सीमित नहीं है और अन्य कर्मचारी भी निगरानी व्यवस्था का हिस्सा हैं,तो जांच में उनकी भूमिका का भी परीक्षण आवश्यक होगा,पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने इसी पहलू को उठाते हुए घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है,उन्होंने आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ विभागीय स्तर पर निगरानी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं,उनका कहना है कि केवल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने से पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट नहीं होगी,यह देखना जरूरी है कि आश्रम में बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्धारित व्यवस्था क्या थी और उसका पालन किस स्तर पर हुआ,उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,कोरिया श्रीमती ऊषा लकड़ा की भूमिका की भी जांच की मांग की है,हालांकि किसी अधिकारी की जिम्मेदारी या लापरवाही तय करना जांच का विषय है और केवल आरोप या मांग के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता।

लीपापोती नहीं,जिम्मेदारी तय हो-पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी घटना को सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर समाप्त नहीं किया जाना चाहिए,यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए,उनके अनुसार आश्रम और छात्रावास में रहने वाले बच्चे शासन की जिम्मेदारी में होते हैं। ऐसे में उनकी नियमित निगरानी,उपस्थिति और सुरक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था होना जरूरी है, उन्होंने जिले के सभी आदिवासी आश्रमों और छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग भी की है, उनका कहना है कि एक घटना के बाद केवल कार्रवाई करने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे भविष्य में किसी बच्चे के लापता होने की स्थिति में तत्काल अलर्ट जारी हो और परिवार तथा उच्चाधिकारियों को सूचना पहुंच सके।

सिर्फ निलंबन नहीं,व्यवस्था की समीक्षा जरूरी-प्रिंस सिंह की मौत एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है,लेकिन इस घटना ने प्रशासन के सामने एक व्यापक चुनौती भी खड़ी कर दी है,आदिवासी आश्रमों में रहने वाले बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं,इसलिए उनके लिए आश्रम केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से उनका घर भी होता है, ऐसी स्थिति में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था में छोटी-सी चूक भी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है,इसलिए जरूरी है कि जिले के सभी आश्रमों में बच्चों की दैनिक उपस्थिति,आने-जाने की निगरानी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी, आपातकालीन सूचना प्रणाली और परिजनों से तत्काल संपर्क की व्यवस्था की समीक्षा की जाए, यदि किसी बच्चे की अनुपस्थिति का पता चलते ही संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की स्पष्ट व्यवस्था हो और उसका पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए तो ऐसे मामलों में शुरुआती स्तर पर ही व्यापक खोज अभियान शुरू किया जा सकता है।

जांच के केंद्र में होंगे ये सवाल,प्रिंस सिंह की मौत के बाद कई सवालों का जवाब जांच से मिलना जरूरी है...

- छात्र सुबह करीब 7 बजे आश्रम से कब और कैसे बाहर गया?
- उसकी अनुपस्थिति सबसे पहले किस कर्मचारी के संज्ञान में आई?
- क्या उस दिन आश्रम में नियमित उपस्थिति दर्ज की गई थी?
- छात्र के गायब होने की सूचना उच्चाधिकारियों को तत्काल क्यों नहीं दी गई?
- छात्र की तलाश कब शुरू की गई और किन स्थानों पर की गई?
- आश्रम परिसर से बाहर बच्चों की निगरानी की क्या व्यवस्था थी?
- आश्रम के कर्मचारियों की ड्यूटी और जिम्मेदारियां क्या निर्धारित थीं?
- घटना के बाद परिजनों को सूचना कब दी गई?
- क्या अन्य आश्रमों में भी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी?

अब जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर-फिलहाल प्रशासन ने आश्रम अधीक्षक अशोक एक्का को निलंबित कर दिया है और एसडीएम सोनहत को जांच की जिम्मेदारी दी गई है,यह कार्रवाई मामले की शुरुआत है, अंतिम निष्कर्ष नहीं,अब सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि जांच रिपोर्ट में घटना की पूरी कड़ी किस तरह सामने आती है, छात्र आश्रम से कैसे निकला,उसकी अनुपस्थिति की जानकारी कब हुई, सूचना देने में देरी क्यों हुई और क्या केवल अधीक्षक ही जिम्मेदार थे या निगरानी व्यवस्था में अन्य स्तरों पर भी चूक हुई।

इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर सामने आना जरूरी है,प्रिंस सिंह की मौत ने सिर्फ एक आश्रम की व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा किया है,बल्कि उन सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जरूरत सामने रखी है जहां नाबालिग बच्चे शासन की निगरानी में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं,अब क्षेत्रवासियों और परिजनों की नजर जांच रिपोर्ट पर है,उम्मीद यही है कि जांच केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि घटना की वास्तविक परिस्थितियों और जिम्मेदारी को स्पष्ट करे,ताकि भविष्य में किसी और मासूम की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी लापरवाही की भेंट न चढ़े।

नगर पंचायत के विरोध में 781 ग्रामीणों ने जताई सहमति

उदयपुर ग्राम सभा में पारित हुआ संकल्प

डूमरडीह और झिरमिटी में भी हो चुका है विरोध

संवाददाता-

उदयपुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। ग्राम पंचायत उदयपुर को डूमरडीह और झिरमिटी को शामिल कर नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को लेकर ग्रामीणों का विरोध सामने आया है। बुधवार को आयोजित विशेष ग्राम सभा में 781 ग्रामीण उपस्थित हुए। चर्चा के बाद अधिकांश ग्रामीणों ने नगर पंचायत बनाए जाने के विरोध में अपनी राय रखी और इसके खिलाफ संकल्प प्रस्ताव पारित किया। कलेक्टर सरगुजा के आदेश पर 9 सितंबर को सुबह 11 बजे ग्राम पंचायत सभागार में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा अध्यक्ष फेंकूराम और नोडल अधिकारी विपिन किशोर चौहान के नेतृत्व में हुई सभा में कोरम की पूर्ति के बाद नोडल अधिकारी ने नगर पंचायत गठन से संबंधित प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। इसके बाद ग्रामीणों से राय ली गई। अधिकांश ग्रामीणों ने नगर पंचायत बनाने का विरोध किया। ग्राम पंचायत के समर्थन में अपनी बात रखते हुए संदीप राजवाड़े ने कहा कि नगर पंचायत बनने से ग्रामीणों को प्राप्त पेसा कानून के अधिकार समाप्त हो सकते हैं। साथ ही टैक्स का बोझ बढने और मकान निर्माण,बोर खनन सहित अन्य कार्यों के लिए अनुमति लेने कार्यालयों के चक्कर लगाने की स्थिति बनने की आशंका जताई। वहीं नगर पंचायत के पक्ष में युवा मित्र मंडली की ओर से क्रांति कुमार रावत ने कहा कि नगर पंचायत बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ बिजली,पानी,सडक़ और नाली जैसी नागरिक सुविधाओं में सुधार होने की बात रखी।

पहले भी दो पंचायतों में हो चुका विरोध : उदयपुर में नगर पंचायत गठन के विरोध का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 1 सितंबर को आयोजित ग्राम सभा कोरम पूरा नहीं होने के कारण स्थगित करनी पड़ी थी। इसके बाद 1 सितंबर को डूमरडीह और 7 सितंबर को झिरमिटी में आयोजित ग्राम सभाओं में भी ग्रामीणों ने नगर पंचायत गठन के विरोध में संकल्प प्रस्ताव पारित किया था। बुधवार को उदयपुर में हुई ग्राम सभा में सरपंच प्रताप सिंह, उपसरपंच शेखर सिंहदेव,जनपद उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंहदेव,पंचायत सचिव खेलो सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम सभा अध्यक्ष की सहमति से नगर पंचायत गठन के विरोध में प्रस्ताव पारित करने के बाद सभा का समापन किया गया।

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला,बुधवार साय पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

-संवाददाता-

सूरजपुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। पत्नी की डंडे से मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सूरजपुर की अदालत ने आरोपी पति बुधवार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, न्यायालय ने आरोपी पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम केदारपुर का है, पुलिस के अनुसार 15 अप्रैल 2023 को केदारपुर निवासी मंगल साय ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसका चचेरा भाई बुधवार साय अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी समुन्द्री बाई के साथ गांव में नया मिट्टी का मकान बना रहा था,14 अप्रैल 2023 की शाम बुधवार साय का अपनी पत्नी समुन्द्री बाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया,आरोप है कि विवाद के दौरान बुधवार साय ने पत्नी के साथ मारपीट की। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर मंगल साय और उसका छोटा भाई मौके की ओर गए,लेकिन डर के कारण

बीच-बचाव करने नहीं पहुंचे,पुलिस के मुताबिक कुछ देर बाद बुधवार साय ने बताया कि उसने पत्नी को मिट्टी लमरने के लिए कहा था,लेकिन उसके मना करने पर गुस्से में डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी,इसके बाद मंगल साय की रिपोर्ट पर प्रेमनगर थाने में अपराध क्रमांक 37/2023, धारा 302 भादसं. के तहत मामला दर्ज किया गया।

विवेचना में जुटाए साक्ष्य, आरोपी के खिलाफ पेश हुआ आरोप पत्र-मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी प्रेमनगर निरीक्षक रूपेश कुंतल द्वारा की गई, पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य संकलित किए और बुधवार साय पिता सुखलाल धनुहार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम केदारपुर को गिरफ्तार किया, विवेचना पूर्ण होने के बाद उसके विरुद्ध आरोप पत्र जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर के समक्ष पेश किया गया, प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिक ने किया।

साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध प्रमाणित

मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर के समक्ष हुई, न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों और सुनवाई के बाद 7 सितंबर 2026 को अपना निर्णय सुनाया,न्यायालय ने आरोपी बुधवार साय के विरुद्ध हत्या का अपराध साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित पाए जाने पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया,तीन वर्ष से अधिक समय तक चले इस प्रकरण में न्यायालय के फैसले के बाद पत्नी की हत्या के दोषी पति को अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।

तातापानी में बंद मकान में आगजनी,दंपति झारखंड से गिरफ्तार

पड़ोसी के घर में आग लगाकर करीब पांच लाख का सामान जलाने का आरोप, वारदात के बाद भागे थे आरोपी

संवाददाता-

तातापानी,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। तातापानी में बंद मकान को निशाना बनाकर आगजनी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति-पत्नी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पड़ोसी के मकान का दरवाजा तोड़कर भीतर आग लगा दी थी, जिससे घर में रखा करीब पांच लाख रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक सुभाष नगर तातापानी निवासी सौमित्र हालदार ने पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 6 सितंबर 2026 की रात वह अपनी बीमार मां को देखने पुराने घर गया था। इस दौरान मकान बंद था। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी जयदेव शील और

उसकी दूसरी पत्नी प्रतिमा देवी रवि ने मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आग लगा दी। अगली सुबह जब सौमित्र वापस लौटा तो घर के भीतर आगजनी से काफी नुकसान हो चुका था। घरेलू उपयोग की कई कीमती वस्तुएं जलकर नष्ट हो गईं। शिकायतकर्ता ने नुकसान की कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई। घटना के बाद आरोपी दंपति पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए झारखंड की ओर भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तातापानी पुलिस ने संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने झारखंड में घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान दोनों ने मकान में आगजनी करने की बात स्वीकार की। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर 9 सितंबर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया,जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में तातापानी पुलिस चौकी द्वारा अपराध क्रमांक 164/2026 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

CMYK

मालविका मोहनन की ख्वाहिश पर्दे पर बनना चाहती हैं गैंगस्टर

साउथ की मशहूर एक्ट्रेस मालविका मोहनन,जिन्होंने अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है, ने अब एक फैन को बताया है कि वह किसी फिल्म में गैंगस्टर का रोल करना पसंद करेंगी। सोशल मीडिया पर फैंस के सवालों का जवाब देते हुए,एक्ट्रेस ने एक फैन को बताया कि वह किस तरह के रोल करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, मैं गैंगस्टर का रोल करना पसंद करूंगी। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वह और उनकी आने वाली फिल्म सरदार 2 के को-स्टार कार्थी,दोनों को ही खाना और स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। यह पूछे जाने पर कि दोनों में से ज़्यादा खाने का शौकीन कौन है, उन्होंने कहा, हम दोनों को ही खाना और स्नैक्स पसंद हैं! मुझे स्नैक्स बहुत पसंद हैं... मैं कहीं भी और कभी भी स्नैक्स खा सकती हूं और प्रमोशन के दौरान मुझे लगा कि कार्थी सर भी काफी हद तक ऐसे ही हैं। मालविका मोहनन की अगली फिल्म सरदार 2,जिसे पी.एस. मित्रन ने डायरेक्ट किया है और जिसमें कार्थी लीड रोल में हैं, उसे सेंसर बोर्ड से यू/ए सर्टिफिकेट मिल चुका है।

सरदार 2 दुनिया भर में 10 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है।

इस फिल्म ने कई वजहों से फैंस और फिल्म प्रेमियों के बीच काफी दिलचस्पी पैदा की है। असल में, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बोलते हुए एक्टर कार्थी ने कहा था कि जो दर्शक यह फिल्म देखेंगे, वे फिल्म के मुख्य संदेश को नज़रअंदाज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह उनकी सेहत और भलाई से जुड़ी एक चौंकाने वाली सच्चाई के बारे में है।

फिल्म के ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च में शामिल होते हुए कार्थी ने कहा था,हो सकता है कि आप प्लास्टिक की पानी की बोतलों से पानी पीने की आदत जारी रखे हुए हों, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद,आप इसके संदेश को नज़रअंदाज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात की है जो आपकी सेहत से जुड़ी है और वह मुद्दा आपको ज़रूर झकझोर कर रख देगा। जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्टर पी.एस. मित्रन ने सरदार 2 के प्रीक्वल सरदार में पानी के कमर्शियलाइज़ेशन (व्यावसायीकरण) के मुद्दे को उठाया था। वह फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब, इस स्पाई थ्रिलर के दूसरे भाग में,डायरेक्टर ने सेहत और साफ़-सफ़ाई से जुड़े मुद्दों को दिखाने की कोशिश की है। सरदार 2 की टीम ने पिछले साल जून में बैंकॉक में अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी। एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने बैंकॉक में फिल्म के सेट से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने पिछले साल मई में फैंस के साथ सवाल-जवाब सेशन के दौरान बताया था कि वह जून 2025 में सरदार 2 का काम पूरा कर लेंगी। दिलचस्प बात यह है कि टीम ने पिछले साल अप्रैल में शूटिंग के 100 दिन पूरे कर लिए थे। सरदार के सीक्वल की घोषणा करते समय,मेकर्स ने एक प्रोमो जारी किया था जिसमें कार्थी के किरदार को जासूस के तौर पर कंबोडिया भेजा जा रहा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या कहानी सच में कंबोडिया में आगे बढ़ती है या चीन में,तो मित्रन ने कहा था, शुरुआत में कहानी कंबोडिया जाती है और फिर चीन चली जाती है। टेक्निकल पक्ष की बात करें तो, सरदार 2 की सिनेमैटोग्राफी जॉर्ज विलियम्स ने की है और संगीत सैम सी.एस. ने दिया है। फिल्म की एडिटिंग विजय वेलुकुट्टी ने की है और आर्ट डायरेक्शन एमएसपी माधवन और बी. सेकर ने किया है। फिल्म को रत्ना कुमार,आशामीरा अय्यप्पन और विग्नेश मुनियांडी ने लिखा है और फिल्म के स्टंट्स को दिलीप सुब्बारायन और चेतन डिसूजा ने कोरियोग्राफ किया है।

घमासान में एसटीएफ चीफ बनने में छूटे पसीने,प्रतीक गांधी ने बताया सबसे बड़ा चैलेंज,बोले...पहले कभी ऐसा रोल नहीं किया

प्रतीक गांधी ने खास बातचीत में 'घमासान' में अपने स्त्रस्न चीफ के किरदार को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने वास्तविक लोकेशन, हार्टलैंड की भाषा-संस्कृति और कहानी की प्रासंगिकता पर भी चर्चा की। अभिनेता प्रतीक गांधी अपनी हर भूमिका में कुछ नया तलाशने के लिए जाने जाते हैं। अब वह फिल्म 'घमासान' में एक ऐसे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जो उनके पिछले किरदारों से काफी अलग है। बातचीत में प्रतीक गांधी ने फिल्म में अपने किरदार और शूटिंग के अनुभव को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इससे पहले वह 'द ग्रेट इंडियन मर्डर' में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन 'घमासान' का किरदार उनके लिए पूरी तरह अलग चुनौती लेकर आया। प्रतीक गांधी ने बताया कि फिल्म में वह एक एसटीएफ चीफ की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी देश के हार्टलैंड यानी ग्रामीण और जमीन से जुड़े इलाके में स्थापित है, जहां परिस्थितियां और पुलिस व्यवस्था का माहौल काफी वास्तविक रखा गया है। अभिनेता के मुताबिक किरदार को किसी सामान्य फिल्मी पुलिस अफसर की तरह पेश नहीं किया गया है। उसकी दुनिया, व्यवहार और काम करने का तरीका काफी वास्तविक है। यही वजह है कि उनके लिए यह भूमिका खास बन गई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस तरह के अधिकारी का किरदार नहीं निभाया था।

एसटीएफ चीफ की बॉडी लैंग्वेज ने किया चुनौतीपूर्ण

बातचीत में जब प्रतीक गांधी से पूछा गया कि फिल्म के दौरान ऐसा कौन सा हिस्सा था, जिसने उन्हें बतौर अभिनेता सबसे ज्यादा चुनौती दी तो उन्होंने किरदार की फिजिकलिटी और उसके व्यवहार का जिक्र किया। उनके मुताबिक स्त्रस्न चीफ किस तरह अपनी टीम को लीड करता है, मुश्किल हालात में उसका रवैया कैसा रहता है और उसके व्यक्तित्व में किस तरह का अनुशासन दिखाई देता है, इन सभी चीजों पर उन्हें खास ध्यान देना पड़ा। प्रतीक ने बताया कि इस किरदार को सिर्फ संवादों के जरिए निभाना पर्याप्त नहीं था। एक स्त्रस्न अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज, टीम को संभालने का तरीका और उसका पूरा डेमीनर यानी व्यक्तित्व पर्दे पर विश्वसनीय नजर आना जरूरी था। इन बारीकियों को पकड़ना उनके लिए अभिनय की बड़ी चुनौती रही।

असली जगहों पर शूटिंग ने बदला अनुभव

प्रतीक गांधी के मुताबिक 'घमासान' की शूटिंग पूरी तरह वास्तविक लोकेशंस पर की गई। उनके लिए यह अनुभव इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि असली जगहों पर काम करने से फिल्म की दुनिया को समझने और किरदार में उतरने में काफी मदद मिली। फिल्म जिन सच्ची घटनाओं के संदर्भ से जुड़ी है, उनके बारे में हुई बातचीत, हार्टलैंड का वातावरण, स्थानीय भाषा और वहां की संस्कृति को समझना भी उनके लिए अहम रहा। प्रतीक के अनुसार इन सभी पहलुओं ने उन्हें न सिर्फ अपने किरदार को बेहतर तरीके से समझने में मदद की, बल्कि फिल्म की पूरी दुनिया को महसूस करने का मौका दिया।

पुरानी घटना,लेकिन आज भी प्रासंगिक है कहानी

'घमासान' को लेकर प्रतीक गांधी का मानना है कि फिल्म मौजूदा दौर में भी महत्वपूर्ण है। भले ही फिल्म की कहानी जिस घटना से प्रेरित है, वह काफी समय पहले हुई थी, लेकिन उसके पीछे छिपे कई संदर्भ आज भी प्रासंगिक हैं। अभिनेता को उम्मीद है कि दर्शक फिल्म के कई पहलुओं को आज की परिस्थितियों से जोड़ पाएंगे। उनका मानना है कि अच्छी कहानी सिर्फ अपने दौर की बात नहीं करती,बल्कि समय बीतने के बाद भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है। प्रतीक चाहते हैं कि 'घमासान' देखने के बाद दर्शक फिल्म की घटनाओं और उनसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत करें और अपने नजरिए से उन्हें समझें।

हनुमान अंश को हेमा मालिनी ने बताया सुपरहिट,प्रोड्यूसर पर कही बड़ी बात

मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने हनुमान अंश की सफलता की तारीफ़ करते हुए इसे सुपरहिट फ़िल्म बताया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसकी सफलता को भगवान हनुमान का आशीर्वाद बताया। हेमा ने प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर की भी तारीफ़ की, जिन्होंने फ्लिम बनाने का कोई अनुभव न होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। फ़िल्म प्रोडक्शन की दुनिया में नई होने के बावजूद,नागर ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और अब दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हेमा ने फ्लिम की सफलता के लिए प्रोड्यूसर और पूरी टीम को बधाई दी। शोले की एक्ट्रेस ने कहा,यहाँ हनुमान और नीम करौली बाबा का मंदिर है। मैं हमेशा वहाँ जाती हूँ। और आज, मैं बहुत खुश हूँ कि उन पर एक फिल्म बनी है। यह सुपरहिट हो गई है। यह हनुमान जी की कृपा है,मैं आपको बता दूँ। जिस किसी ने भी यह फ़िल्म प्रोड्यूस की है,वह एक आम, सीधी-सादी लड़की है। उसे यह भी नहीं पता कि फ्लिम बनाना क्या होता है। लेकिन उसके योगदान की वजह से यह इतनी अच्छी बनी है। हर कोई इसे देखने के लिए उत्सुक है। मैं भी इसे देखना चाहती हूँ। हनुमान अंश को प्रीति ज़िंटा, फ़िल्ममेकर आदित्य धर और वरुण धवन समेत कई सेलिब्रिटीज़ से तारीफ़ मिल रही है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म ने अपने भक्तिपूर्ण विषय और भगवान हनुमान व नीम करौली बाबा के चित्रण के कारण बॉलीवुड हस्तियों का ध्यान खींचा है। थिएटर में हनुमान अंश देखने के बाद, प्रीति ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की और अपने फ़ॉलोअर्स से बड़े पर्दे पर फ्लिम देखने का आग्रह किया। 51 वर्षीय एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर थिएटर में फ़िल्म देखते हुए अपनी एक झलक शेयर की। अपनी प्रतिक्रिया को संक्षिप्त रखते हुए, उन्होंने फ्लिम का एक स्टिल पोस्ट किया और साथ में सीता राम और वाह लिखा। एक अन्य पोस्ट में, उन्होंने अपने फ़ॉलोअर्स को थिएटर में फ्लिम देखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए लिखा, दोस्तों, इसे ज़रूर देखें। फ़िल्ममेकर आदित्य धर ने भी फ़िल्म की तारीफ़ की है, जिससे फ़िल्म जगत के लोगों से इसे और ज़्यादा सराहना मिल रही है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित और प्रोड्यूस की गई हनुमान अंश से शोभिनव सत्या ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। उन्होंने नीम करौली बाबा की मुख्य भूमिका निभाई है। इस फ्लिम में चंदन आनंद,निखिल दुबे,उदयसिंह राजपूत, पूर्णिमा तिवारी और मनीष चौधरी भी अहम भूमिकाओं में हैं। अनुप्रिया ए. नागर द्वारा प्रोड्यूस की गई फ़िल्म हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी।

खेल समाचार

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान

देवदत्त पडिक्कल और रुतुराज गायकवाड बने कप्तान

नई दिल्ली,09 सितम्बर 2026। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। वनडे सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को भी जगह मिली है, लेकिन वे पूरी तरह से फिट होंगे, तभी खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की ए टीम सितंबर से लेकर अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेगी। इस दौरान दो मल्टी डे और तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। सीरीज करीब है, इसलिए बीसीसीआई की ओर से इसके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच बड़ी बात ये है कि टीम में भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेल रहे बड़े बड़े खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं। वनडे मैचों के लिए टीम की कमान रुतुराज गायकवाड को दी गई है, वहीं मल्टी डे मैच के लिए देवदत्त पडिक्कल कप्तान होंगे।

22 सितंबर से शुरू होगी सीरीज, दो मल्टी डे और तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे

भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच सितंबर में दो मल्टी डे मैच खेले जाएंगे। मल्टी डे मैच का मतलब चार दिन के मैच से है। ये मैच टेस्ट फॉर्मेट पर खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच 22 से लेकर 25 सितंबर तक खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला 29 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें टीम की कप्तानी देवदत्त पडिक्कल करेंगे, जो इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसके बाद तीन वनडे मैच होंगे, जो 50 ओवर के तो होंगे, लेकिन इन्हें इंटरनेशनल दर्जा हासिल नहीं होगा। सीरीज का पहला मैच छह अक्टूबर को होगा, दूसरा मैच 9 अक्टूबर को होगा, सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। सभी मुकाबले पुदुचेरी में खेले जाएंगे।

हार्दिक पांड्या भी टीम में शामिल, लेकिन फिटनेस पर निर्भर करेगा खेलना

लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। हालांकि उनके नाम के आगे स्टार लगा है, यानी अगर वे फिट हुए तभी खेलेंगे। मल्टी डे मैचखें के लिए वैशाख टीम में हैं, लेकिन उनका भी मामला फिटनेस पर निर्भर करेगा। हार्दिक पांड्या चोटिल होने के कारण लंबे समय से चोट के कारण बाहर हैं। देखना होगा कि क्या पांड्या तब तक ठीक होकर वापसी कर पाएंगे या नहीं।

भारत ए मल्टी-डे स्क्वाड :- अमन मोखाड़े, आयुष पांडे,देवदत्त पडिक्कल (कप्तान),साई सुदर्शन (उपकप्तान),यश राठौड़,शेख रशीद,कुमार कुशाग्र, शम्स मुलानी,तनुश कोटियन,तुषार देशपांडे,अंशुल कंबोज,प्रफुल हिंगे,एन जगदीशन,नचिकेत भूटे,वी वैशाख

भारत ए वन-डे स्क्वाड :- प्रियांश आर्य,साई सुदर्शन,देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान),रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान),रजत पाटीदार,कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु, विप्रज निगम,अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान,नमन धीर,हार्दिक पांड्या*, प्रभसिमरन सिंह,गुरजपनीत सिंह, यश ठाकुर।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) संभाग अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा (छ0ग0)

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-4446/NIT-09/2026-2027/ व0ले0लि दिनांक : 07/09/2026

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 16/09/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 22/09/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि - 23/09/2026 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक
कार्यों हेतु -

निविदा प्रपत्र का मूल्य - 750.00 रूपये, निविदाकारों की श्रेणी - ई-पंजीयन के अंतर्गत 'द' से 'अ' तक तथा कार्य की अवधि T0027 से T0039 हेतु दिनांक 31.03.2027 तक वर्षा ऋतु सहित निर्धारित है ।

एनआईटी क्र.9 निविदा क्र.	कार्य का नाम/ NoOfCalls (द्वितीय आमंत्रण)	कार्य की अनुमानित लागत (लाख मे) - अमानत राशि(रू.मे) - बैंक साल्वेंसी (रू.मे)
1	2	3
T0055	सरगुजा जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि.यां.) उपसंभाग अंबिकापुर के शासकीय आवासीय भवनों भवनों में विधुतीकरण एवं विधुत उपकरण के मरम्मत, रख रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	8.00 - 6000.00 -120000.00
T0056	सरगुजा जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग अंबिकापुर के शासकीय गैर-आवासीय भवनों में विधुतीकरण मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	10.00 - 7500.00 -150000.00
T0057	जशपुर जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग जशपुर के शासकीय आवासीय भवनों में विधुतीकरण, विधुत उपकरणों के मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	8.00 - 6000.00 -120000.00
T0058	जशपुर जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग जशपुर के शासकीय गैर-आवासीय भवनों में विधुतीकरण, विधुत उपकरण के मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	9.00 - 6750.00 -135000.00
T0059	जशपुर जिले के अंतर्गत सी.एम. हाउस बगिया में गीजर, पंखा, एक्सास्ट फेन, कूलर एवं विधुतीकरण के समस्त मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य।	10.00 - 7500.00 -150000.00
T0060	बलरामपुर जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग बलरामपुर के शासकीय आवासीय भवनों में विधुतीकरण, विधुत उपकरण के मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	9.00 - 6750.00 -135000.00
T0061	बलरामपुर जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग बलरामपुर के शासकीय गैर-आवासीय भवनों में विधुतीकरण, विधुत उपकरण के मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	10.00 - 7500.00 -150000.00
T0062	सूरजपुर जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग सूरजपुर के शासकीय आवासीय भवनों में विधुतीकरण, विधुत उपकरण के मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	7.00 - 5250.00 -105000.00
T0063	सूरजपुर जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग सूरजपुर के शासकीय गैर- आवासीय भवनों में विधुतीकरण, विधुत उपकरणों के मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	10.00 - 7500.00 -150000.00
T0064	कोरिया जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग कोरिया के शासकीय आवासीय भवनों में विधुतीकरण, विधुत उपकरण के मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	7.00 - 5250.00 -105000.00
T0065	कोरिया जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग कोरिया के शासकीय गैर-आवासीय भवनों में विधुतीकरण, विधुत उपकरण के मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	7.00 - 5250.00 -105000.00
T0066	एम.सी.बी. जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग एम.सी.बी. के शासकीय आवासीय भवनों में विधुतीकरण, विधुत उपकरण के मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	7.00 - 5250.00 -105000.00
T0067	एम.सी.बी. जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) उपसंभाग एम.सी.बी. के शासकीय गैर-आवासीय भवनों में विधुतीकरण, विधुत उपकरण के मरम्मत, रख-रखाव एवं अन्य आवश्यक विधुतीकरण कार्य।	8.00 - 6000.00 -120000.00

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.pwd.cg.nic.in में Live Tende के अंतर्गत निविदा प्रपत्र मे उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियता
लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) संभाग
अम्बिकापुर,जिला सरगुजा (छ0ग0)

जी0नं0 -262703168/4

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /अ-27/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुकेश घोष आ. स्व. मनीराम घोष व अन्य, निवासी सुभाषनगर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम सुभाषनगर स्थित खसरा नंबर 109/5, 118/18, 154/6 रकबा क्रमशः 0.144, 0.336, 0.126 हे. भूमि को आवेदकगण के मध्य में आपसी सहमति के आधार पर बटवारा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 14/10/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-08/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील
तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ- 20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका कीमतलाल भास्कर आ0/पति गोकुल प्रसाद जाति सतनामी, निवासी सत्तीपारा, अम्बिकापुर द्वारा मुख्तारनामा आम- विनोद कुमार भास्कर आ0 वेदराम भास्कर, निवासी सत्तीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - सत्तीपारा, शीट नम्बर - 2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 572, 689, 690 रकबा 0.02, 0.01, 0.02 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-18.09.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः 03.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
नज़ूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0म0)

// सार्वजनिक उदघोषणा / ईश्तहार //

क्र. 3164/वाचक/2/2025
सूरजपुर दिनांक 09/09/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी/नगरवासी /ग्राम / नगर चन्दरपुर तहसील जिला सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक मिथलेश सिंह पिता/ पति- कालिका प्रसाद जाति गोंड़ निवासी पोंड़ी पोस्ट थाना सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0 ने अपने पुत्र/पुत्री मां चन्दा सिंह पिता/पति कालिका प्रसाद जन्म/ मृत्यु 21/11/2009 जन्म/ मृत्यु स्थान चन्दरपुर हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः इस न्यायालय में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा/ अथवा आपत्ति आक्षेप हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 23/09/2026 दिन शुक्रवार को उपस्थित होकर दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचानर नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
सूरजपुर
जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0म0)

// सार्वजनिक उदघोषणा / ईश्तहार //

क्र. 3146/वाचक/2/2025
सूरजपुर दिनांक 08/09/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी/नगरवासी /ग्राम / नगर नेवरा प0ह0नं0 03 तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक धनीराम पिता/ पति- गौतम जाति पनिका निवासी नेवरा पोस्ट बसदेई थाना सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0 ने अपने पुत्र/पुत्री बुआ सोसकेल पिता/पति शिवधन जन्म/ मृत्यु 15/05/2010 जन्म/ मृत्यु स्थान नेवरा हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः इस न्यायालय में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा/ अथवा आपत्ति /आक्षेप हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 18/09/2026 दिन शुक्रवार को उपस्थित होकर दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
सूरजपुर
जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0म0)

// सार्वजनिक उदघोषणा / ईश्तहार //

क्र. 3147/वाचक/2/2025
सूरजपुर दिनांक 08/09/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी/नगरवासी /ग्राम / नगर करंजी तहसील जिला सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक सोभित राम पिता/ पति- बिगन राम जाति कुम्हार निवासी करंजी पोस्ट करंजी थाना विश्रामपुर तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0 ने अपने पुत्र/पुत्री धनमेत पिता/पति स्व0 शंकर जन्म/ मृत्यु 5/10/2014 जन्म/ मृत्यु स्थान करंजी हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः इस न्यायालय में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा/ अथवा आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 18/09/2026 दिन शुक्रवार को उपस्थित होकर दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
सूरजपुर
जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3 ,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /ब-121/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बिगु शर्मा आ. राजकुमार शर्मा निवासी ग्राम मायापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि ग्राम मायापुर स्थित भूमि खसरा नं0 177/2 रकबा 0.024 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम त्रुटिवश गलत अंकित कर दिया गया है, आवेदक के नाम में हुए त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 21/09/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 07/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
नायब तहसीलदार
अंबिकापुर-3,सरगुजा

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मैं दिलशाह बाबू पिता हिनामतुल्लाह उम्र लगभग 40 वर्ष जाति मुस्लिम निवासी ग्राम - सतपता को विधामपुर गोना विधानपूर तहसील विश्रामपुर जिला सूरजपुर छ0ग0 की निम्नांकित शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्श रहमान खान अंग्रेजी में (ARSH RAHMAN KHAN) है तथा गाँव घर का पुकारू नाम- अबिद आलम,अंग्रेजी में (ABID ALAM) है उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति का अर्थात मेरा ही नाम है जो राज्य एवं सही है। मेरे आधार कार्ड नम्बर- 414671634611 में पुकारू नाम आबिद आलम अंकित हो गया है जो गलत है, जबकि मेरा नाम पर ग्राम पंचायत कार्यालय तपता विश्रामपुर सूरजपुर से जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें मेरे पुत्र का नाम हिन्दी में अर्श रहमान खान एवं अंग्रेजी में (ARSH RAHAMAN KHAN) सही रूप में अंकित है जो सत्य एवं सही है जिसे सत्य एवं सही माना जाए।

पालक
दिलशाद बाबू
सतपता,थाना व तहसील विश्रामपुर
जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

C M Y K

साय कैबिनेट के बड़े फैसले...छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के आवेदन की उम्र सीमा बढ़ी

स्टार्टअप-मिशन को 500 करोड़,नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा...

रायपुर,09 सितम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, कर्मचारियों, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप और हढ्ढक्क मिशन के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 साल करने को मंजूरी दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ को प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी हरी झंडी दी गई। इसके अलावा नवा रायपुर में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआई) की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला हुआ है। दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है।

स्टार्टअप और NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़

कैबिनेट ने युवाओं के लिए रोजगार,कौशल विकास,उद्यमिता और नवाचार के अवसर बढ़ाने के लिए 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप और NIPUN मिशन' को मंजूरी दी है। इसके लिए अगले 5 साल में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिशन के तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ा जाएगा।

छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 मंजूर

राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 'छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30' को मंजूरी दी गई है। नीति के तहत मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदेश के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाने पर जोर रहेगा। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

नवा रायपुर में 200 करोड़ का एनएसटीआई

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआई) की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और हॉस्टल सुविधाएं होंगी। यहां हर साल दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 साल

राज्य शासन के स्थायी-अस्थायी कर्मचारियों,निगम-मंडल और स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे इन कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके लिए राज्य शासन एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी करेगा।

दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन बनेगा

दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों जमीनों का वर्तमान मूल्य लगभग समान है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।

अब बार-बार राशन दुकान जाने की जरूरत नहीं...एक साथ मिलेगा 2 महीने का चावल,नोट कर लें तारीख

रायपुर,09 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारियों के लिए राहत की खबर है। राज्य में सितंबर और अक्टूबर महीने का खाद्यान्न एक साथ वितरित किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश की सभी 14,186 उचित मूल्य दुकानों के लिए दोनों महीनों का खाद्यान्न आवंटन जारी कर दिया गया है। खाद्य विभाग के अनुसार,राशन दुकानों में चावल समेत निर्धारित खाद्यान्न पहुंचाने और भंडारण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक 9,356 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण पूरा हो चुका है। इन दुकानों से पात्र राशन कार्डधारियों को सितंबर और अक्टूबर का राशन मिलना शुरू हो गया है।

30 सितंबर तक मिलेगा दो महीने का चावल

राशन कार्डधारी 30 सितंबर तक सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का चावल प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने दोनों महीनों के लिए खाद्यान्न का आवंटन एक साथ किया है, जिससे पात्र हितग्राहियों को एक ही बार में दो महीने का राशन लेने की सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था से राशन कार्डधारियों को हर महीने अलग-अलग राशन लेने के लिए बार-बार उचित मूल्य दुकान जाने की जरूरत कम होगी। हालांकि, राशन लेने से पहले संबंधित दुकान पर खाद्यान्न उपलब्धता की जानकारी लेना सुविधाजनक रहेगा।

14,186 में से 9,356 राशन दुकानों में पहुंचा खाद्यान्न

छत्तीसगढ़ में कुल 14,186 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। इनमें से 9,356 दुकानों में सितंबर और अक्टूबर महीने के खाद्यान्न का भंडारण पूरा हो चुका है। यह कुल दुकानों का करीब 66 प्रतिशत है। जिन दुकानों में खाद्यान्न पहुंच चुका है, वहां से राशन का वितरण शुरू किया जा चुका है। दो महीने का राशन उन पात्र राशन कार्डधारियों को मिलेगा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए निर्धारित श्रेणी में आते हैं। और जो ईकेवाईसी करा चुके हैं। ऐसे हितग्राही अपनी संबंधित उचित मूल्य दुकान से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में 11 सितंबर को मनाया जाएगा पोला तिहार

रायपुर,09 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक पर्व पोला तिहार (पोरा) इस साल 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। खेती-किसानी और पशुधन से गहराई से जुड़ा यह पर्व किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। पोला के दिन किसान अपने बैलों और अन्य पशुधन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें नहलाकर सजाते हैं और विधि-विधान से पूजा करते हैं। पोला तिहार केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति, कृषि परंपरा और लोक जीवन का भी अहम हिस्सा है। इस दिन घरों में ठेठरी, खुरमी समेत कई पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। वहीं बच्चे मिट्टी के बैल और दूसरे पारंपरिक खिलौनों से खेलते हैं। छत्तीसगढ़ में पोला पर्व मूल रूप से खेती-किसानी और पशुधन के सम्मान से जुड़ा हुआ है। खेती के शुरुआती और व्यस्त दौर के बाद भाद्रपद अमावस्या के दिन यह त्योहार मनाने की परंपरा है। किसानों के लिए बैल खेती के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पोला के दिन बैलों को कृषि कार्य से आराम दिया जाता है और उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। लोक मान्यता के अनुसार, पोला पर्व के समय अन्नमाता गर्भ धारण करती हैं। इसका संबंध धान की फसल में दूध भरने की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी से 4-5 सीट मांगेगी रिपब्लिकन पार्टी

आठवले बोले-संगठन मजबूत करेंगे,राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे,लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए

बिलासपुर,09 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ की राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी में है। केंद्रीय राज्यमंत्री और आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले ने बिलासपुर में पार्टी के विस्तार का प्लान बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी समाजों को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि, यदि पार्टी प्रदेश में मजबूत होगी तो भाजपा के साथ 4 से 5 सीटों पर गठबंधन को लेकर विचार किया जा सकता है। पार्टी का फोकस सभी समाजों को साथ लेकर चलने पर रहेगा। इसके अलावा आठवले ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष में अच्छा काम कर रहे हैं। पीएम पर टिपण्णी करने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए।

'प्रधानमंत्री मोदी के साथ छत्तीसगढ़ में कर चुका हूं कैंपेन' : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, पिछले चुनाव में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छत्तीसगढ़ में कैंपेन कर चुके हैं। उन्होंने भाजपा के साथ अपने राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी मजबूत होने के बाद गठबंधन को लेकर आगे विचार किया जाएगा। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर रामदास आठवले ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष का काम अच्छा कर रहे हैं। उन्हें विपक्ष का नेता ही रहना चाहिए। ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को मुश्किल बताते हुए कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत का भरोसा है। छत्तीसगढ़ में आरपीआई का विस्तार होने और भाजपा के साथ संभावित सीट गठबंधन का संकेत प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण की ओर इशारा है। हालांकि, ने फिलहाल गठबंधन को अंतिम रूप देने की बात नहीं कही है। आठवले का कहना है कि पहले पार्टी को प्रदेश में मजबूत किया जाएगा और इसके बाद चुनावी परिस्थितियों के अनुसार सीटों पर विचार होगा।

बेलतरा में 1.56 करोड़ के 20 विकास कार्य मंजूर

विधायक सुशांत शुक्ला ने सीएम का जताया आभार

बिलासपुर,09 सितम्बर 2026। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों के लिए करीब 1.56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर अलग-अलग ग्राम पंचायतों में कुल 20 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण-अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के जरिए इन कार्यों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्यों में सीसी रोड, नाली, मुक्तिधाम, अहाता और मंच निर्माण शामिल हैं। इन कामों के पूरा होने से गांवों में आवागमन बेहतर होगा और जरूरी बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। ग्राम पंचायत उरतुम के शंकरपारा में भाव सिंह के घर से मांगन के घर तक नाली निर्माण के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ग्राम पंचायत परसाही में डबरीपारा में लालकुमार पटेल के घर के पास 200 मीटर सीसी रोड के लिए 7.80 लाख और डबहीपारा में नेताराम मेहर के घर के पीछे वाली गली में नाली निर्माण के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

रायपुर में 7 निरीक्षकों के तबादले...आजाद चौक और टिकरापारा समेत कई थानों में बदलाव

रायपुर,09 सितम्बर 2026। रायपुर पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने 7 निरीक्षकों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। तबादले के बाद आजाद चौक, टिकरापारा और गोलबाजार थाने समेत महिला थाना, यातायात और जिविशा में भी जिम्मेदारियां बदली गई हैं। जारी आदेश के मुताबिक कुछ निरीक्षकों को थानों की कमान सौंपी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को रक्षित आरक्षी केंद्र से हटाकर अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभी अधिकारियों को अपनी वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त होकर नई जगह तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

आजाद चौक और टिकरापारा में बदले थाना प्रभारी : तबादला सूची में आजाद चौक और टिकरापारा थाना प्रमुख रूप से शामिल हैं। आजाद चौक थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह को टिकरापारा थाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं टिकरापारा थाना प्रभारी राजेश कुमार मरई को रक्षित आरक्षी केंद्र भेजा गया है। इसी तरह महिला थाना की प्रभारी अर्चना धुरंधर को आजाद चौक थाना प्रभारी बनाया गया है। उनकी जगह राजश्री मौर्य को महिला थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

गोलबाजार और जिविशा में भी नई जिम्मेदारी : कृष्ण कुमार साहू, जो अभी जिविशा के प्रभारी थे, अब गोलबाजार थाना प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं रक्षित आरक्षी केंद्र में पदस्थ निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार तिवारी को जिविशा का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा निरीक्षक आनंद सोनी को रक्षित आरक्षी केंद्र से यातायात विभाग में पदस्थ किया गया है।

विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई गति देंगी मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाएं : सीएम साय

बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन और कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन से मजबूत होगा प्रदेश का रेल नेटवर्क

रायपुर,09 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 हजार 783 करोड़ रुपए की लागत वाली तीन महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इनमें बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन और कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी,यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा तथा उद्योग और व्यापार के लिए माल परिवहन अधिक सुगम एवं प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक और मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में अभूतपूर्व गति से कार्य हो रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इसका निरंतर लाभ मिल रहा है। नई मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को गति देने के साथ प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक विकास और रोजगार की नई संभावनाओं को विस्तार देंगी। मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

रेल नेटवर्क की क्षमता और कनेक्टिविटी में होगा विस्तार : केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत तीन परियोजनाओं में खड़गपुर-झारसुगुड़ा (बागदेही) चौथी लाइन, कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन तथा बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित लागत 10 हजार 783 करोड़ रुपए है और इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूर्ण करने की योजना है। इन तीनों परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इससे लगभग 4 हजार 790 गांवों और करीब 56 लाख की आबादी को बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

बिलासपुर-पेंड्रा रेल कॉरिडोर को मिलेगी मजबूती

बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन और कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन की स्वीकृति छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखती है। इन परियोजनाओं से इस महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर की क्षमता में वृद्धि होगी। अतिरिक्त लाइन क्षमता से ट्रेनों का परिचालन अधिक सुगम होगा, रेल यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी तथा यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय हो सकेगी। इस रेल कॉरिडोर की क्षमता में वृद्धि से छत्तीसगढ़ की देश के अन्य हिस्सों से कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। इसका लाभ आम यात्रियों के साथ प्रदेश की औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी मिलेगा।

उद्योग और व्यापार को मिलेगी नई गति

स्वीकृत रेल परियोजनाएं कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात सहित महत्वपूर्ण वस्तुओं के परिवहन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। मल्टीट्रैकिंग से रेल नेटवर्क की माल ढुलाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तीनों परियोजनाओं से कुल मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 27 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता विकसित होने का अनुमान है।
छत्तीसगढ़ खनिज और औद्योगिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। ऐसे में बेहतर रेल और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगा।
माल परिवहन अधिक सुगम होने से उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधा मिलेगी और प्रदेश में निवेश, व्यापार तथा रोजगार के नए अवसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

पर्यटन और आस्था के प्रमुख केंद्रों तक बेहतर होगी पहुंच

इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ सहित संबंधित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की रेल कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। इनमें अचानकमार टाइगर रिजर्व, मल्हार का पुरातात्विक स्थल, रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर और खुटाघाट बांध सहित अनेक प्रमुख स्थल शामिल हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी मजबूती मिलेगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप तैयार की गई हैं। इनका उद्देश्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना तथा लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाना है। रेलवे पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल परिवहन का महत्वपूर्ण माध्यम है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)